उत्तर प्रदेश
साधारण खण्ड अधिनियम, 1904

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
उत्तर प्रदेश

1/19, विश्वास खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रिकाओं के निर्देश

उम. नि. प. = उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

उम.नि. सा. = उच्चतम न्यायालय निर्णय-सार

सु. को. = A. I. R. (S. C.)

इसी प्रकार से आल इण्डिया रिपोर्टर में छपे उच्च न्यायालयों के निर्णयों का निर्देश वर्ष तथा उच्च न्यायालय के संक्षेपाक्षर देकर किया गया है, जैसे – 1973 इला. 155।

प्रस्तावना

साधारण खण्ड अधिनियमों (केन्द्रीय और उत्तर प्रदेश) के बारे में अधिकतर अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालयों ने न तो अधिनियमों के निर्वचन के सिद्धान्तों को और न ही साधारण खण्ड अधिनियमों को विधि की डिग्री के पाठ्यक्रम में रखा है। विधि स्नातकों को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस के लिए अधिकृत होने के पूर्व किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अब नहीं रह गई है। न्यायिक अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए भी न्यायालयों के कार्य का पूर्व अनुभव अब अनिवार्य नहीं रहा है। इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि उन्हें इन सिद्धान्तों व प्राविधानों के बारे में ज्ञान होने का अवसर न प्राप्त हो। बहुत से अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों को तो साधारण खण्ड अधिनियम के अस्तित्व की ही जानकारी तब हो पाती है जब वे किसी उच्चतर न्यायालय की नजीर में, जिसमें किसी अधिनियम के प्राविधानों का निर्वचन किया गया हो, साधारण खण्ड अधिनियम का उल्लेख पाते हैं। बहुतों को यह भी स्पष्ट नहीं है कि केन्द्र में एक साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के होते हुए अलग-अलग उसी प्रकार के अधिनियम विभिन्न प्रान्तों अथवा राज्यों में क्यों बनाने पड़े।

साधारण खण्ड अधिनियम का विशेष महत्त्व यह है कि वह उन सभी अधिनियमितियों के निर्वचन की कुंजी का रूप रखता है जो उसके द्वारा शासित होते हैं, – अर्थात् केन्द्रीय अधिनियमितियों के सम्बन्ध में 1897 का केन्द्रीय अधिनियम और संयुक्त प्रान्त अथवा उत्तर प्रदेश की अधिनियमितियों के संबंध में 1904 का प्रान्तीय अधिनियम। भारत में साधारण खण्ड अधिनियम सर्वप्रथम 1868 में बना और उसके बाद एक अनुपूरक अधिनियम 1887 में बना और बाद में उन दोनों को शामिल करते हुए 1897 का अधिनियम बना। ये अधिनियम इंग्लैण्ड के इण्टरप्रिटेशन ऐक्टों पर (जो 1850 में और बाद में 1889 में पारित हुए) आधारित थे, किन्तु उनसे पूर्ण साम्य नहीं रखते थे। केन्द्रीय अधिनियम के आधार पर बाद में अलग-अलग प्रान्तों ने, और वर्तमान संविधान के प्रवर्तन के बाद विभिन्न नए राज्यों ने भी, अपने-अपने मिलते-जुलते साधारण खण्ड अधिनियम पारित किए। केन्द्रीय विधान मंडल प्रान्तीय एवं राज्य अधिनियमितियों के निर्वचन के बारे में कोई कानून नहीं बना सकता था, इसलिए प्रान्तों व राज्यों को अपनी-अपनी अधिनियमितियों के निर्वचन के लिए पृथक् साधारण खण्ड अधिनियम बनाने पड़े। इन साधारण खण्ड अधिनियमों का महत्त्व इस बात से भी आंका जा सकता है कि अब तक अकेले उच्चतम न्यायालय की कम से कम तीन सौ नजीरों में इनका निर्वचन किया गया है।

साधारण खण्ड अधिनियमों द्वारा निर्वचन के मुख्य सिद्धान्तों को और कुछ ऐसे शब्दों एवं पदों की परिभाषाओं को एक स्थान पर संकलित किया गया है, जिन्हें अन्यथा प्रत्येक अधि-

नियम में दोहराना पड़ता। किन्तु निर्वचन के सभी सिद्धान्तों का समावेश इनमें नहीं है। बहुत से ऐसे भी अन्य सिद्धान्त है, जिन्हें उच्चतर न्यायालयों की नजीरों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतएव किसी भी वकील अथवा न्यायिक अधिकारी को अधिनियमों का सही निर्वचन कर सकने के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल साधारण खण्ड अधिनियमों के प्राविधानों से अवगत हो अपितु निर्वचन से सम्बन्धित प्रामाणिक पुस्तकें तथा नजीरें भी पढ़े।

अधिकतर प्रामाणिक टीकाएं केवल केन्द्रीय अधिनियम पर प्रकाशित हुई हैं और उन्हीं पुस्तकों में राज्यों के अधिनियमों को बिना किसी टीका-टिप्पणी के एक परिशिष्ट में डाल दिया जाता है। इस प्रकार राज्य के साधारण खण्ड अधिनियमों पर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 पहले से ही 1897 के केन्द्रीय अधिनियम से कुछ मामलों में भिन्न था, मुख्यतः उस प्राविधान के सम्बन्ध में, जिसमें यह विहित किया गया है कि कोई अधिनियम किस दिनांक से प्रवर्तित हुआ माना जाएगा। सन् 1975 के उ. प्र. अधिनियम संख्या 54 द्वारा तो और भी बहुत सी बातें बढ़ाई गईं, जो केन्द्रीय अधिनियम में थीं ही नहीं। धारा 4 में कई नई परिभाषाएं जोड़ी गईं और कई नई धाराएं, यथा धारा 4-क, 6-क, 6-ख, 6-ग, 8(2), 10-क, 10-ख, 10-ग, 19-क, 20(2), तथा 23-क, भी बढ़ाई गईं। इन सब परिभाषाओं एवं धाराओं के बारे में जानकारी भी आवश्यक है।

अतएव यह महसूस किया गया कि इस संस्थान द्वारा ही उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 को द्विभाषी रूप में प्रकाशित कराया जाए ताकि वह विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध हो सके। आजकल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अधिकतर न्यायालय, व उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशगण भी, हिन्दी में ही निर्णय दे रहे हैं और आदेश पारित कर रहे हैं, और आशा है कि भविष्य में इस दिशा में और भी द्रुतगति से प्रगति होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के प्राविधानों के साथ संक्षिप्त टीका हिन्दी में ही दी गई है, किन्तु प्रत्येक प्राविधान का अंग्रेजी पाठ भी साथ में दे दिया गया है।

धाराओं की टीका संक्षिप्त रखते हुए भी प्रयत्न यह किया गया है कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं तथा नए निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित हो जाए। यद्यपि अधिकांश नजीरें केन्द्रीय अधिनियम पर हैं, वे समान उपबंध होने के कारण इस अधिनियम पर भी लागू होंगी। जहां उन दोनों में अन्तर है वहां वह भी स्पष्ट कर दिया गया है। प्रत्येक प्राविधान के साथ केन्द्रीय अधिनियम के सदृश उपबंधों को भी निर्दिष्ट कर दिया गया है। यथासंभव हिन्दी पत्रिकाओं का भी निर्देश कर दिया गया है जिससे कि हिन्दी में काम करने वाले उनका आश्रय ले सकें और उन्हें अंग्रेजी की नजीरों का स्वयं अनुवाद न करना पड़े।

यह काम मेरे अनुरोध पर सेवानिवृत्त जिला जज डा. मोती बाबू, जो "उच्चतम न्यायालय निर्णय-सार" के प्रधान सम्पादक भी हैं, ने सम्पन्न करने की कृपा की है, जिसके लिए यह संस्थान उनका आभारी है।

यह पुस्तक उन नए न्यायिक अधिकारियों को, जो इस संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आएंगे, तो दी ही जाएगी, अपितु अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों को भी, जो पहले से सेवारत हैं निःशुल्क वितरित की जाएगी। न्यायिक अधिकारियों के लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री का प्रकाशन इस संस्थान द्वारा संचालित अनवरत प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। उसके अंतर्गत एक "न्यायिक मार्गदर्शिका" (प्रथम खण्ड) का प्रकाशन पहिले ही किया जा चुका है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष उपयोगी बहुत सी सामग्री संकलित है। हमने जनरल रूल्स (सिविल) व जनरल रूल्स (क्रिमिनल) को टीका सहित छापने का कार्य भी हाथ में लिया है, और विभिन्न पाठ्यक्रमों के दौरान दिए गए व्याख्यानों के व अन्य पाठ्य सामग्री के संकलन भी बोझरों के रूप में प्रकाशित किए हैं। संस्थान की एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रस्तावित है जिसमें न्यायिक अधिकारियों और माननीय न्यायाधीशों के लेख होंगे।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन सभी न्यायिक अधिकारियों एवं माननीय न्यायाधीशों के लिए उपयोगी साबित होगा।

कैलाश नाथ गोयल
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
अवैतनिक निदेशक

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
उत्तर प्रदेश
1/19, विश्वास खण्ड–1, गोमतीनगर
लखनऊ

PREFACE

Experience shows that knowledge of the provisions of the Central and State General Clauses Acts is very much wanting, both among advocates and judicial officers. This is not surprising, considering that neither the General Clauses Acts nor rules of interpretation of statutes are taught in the Universities. A law graduate is no longer required to undergo training in the chambers of a senior before being authorised to practise as an advocate, nor is a judicial officer now required to have any experience as advocate before his appointment to the judicial service. It is thus understandable that they do not get the opportunity to acquire familiarity with these provisions and rules. They often come to know about the very existence of the General Clauses Act only when some ruling of a superior court refers to its provisions while interpreting an enactment. Many find it difficult to understand why the Provinces and States felt obliged to have their separate enactments on the subject when a Central Act (the General Clauses Act, 1897) was already in force.

The special importance of the General Clauses Act lies in the fact that it is a

key to the interpretation of all the statutes governed by it – the General Clauses Act, 1897 governing all the Central Acts and the U.P. General Clauses Act, 1904 governing all the U.P. Acts, enacted after the relevant date in each case. In our country the first General Clauses Act was enacted in 1868. which was followed by a supplementary Act in 1887, and thereafter both were consolidated in the Act of 1897. These Acts were based on, but were not identical with, the provisions of the Interpretation Acts passed in England in 1850 and 1889. After the Central Act was enacted in 1897, different Provinces, and after the commencement of the Constitution different new States as well, enacted their own separate General Clauses Acts which were to a considerable extent similar to the Central Act. The Central Legislature being not competent to pass any general law relating to interpretation of Provincial and State enactments, it was necessary for the Provinces and the States to pass their own separate General Clauses Acts for interpretation of their enactments. An index of the importance of these Acts is that the Supreme Court alone has interpreted these Acts in as many as approximately three hundred rulings handed out so far.

Each General Clauses Act is a compilation of the main principles of interpretation and of definitions of words and phrases commonly used in enactments. Such compilation helps in shortening the language of different enactments However, these Acts are not exhaustive of the rules of interpretation. There are many principles of construction of statutes which do not find place in these Acts. They are to be culled out from decisions of the superior courts. Any legal practitioner or judicial officer who wants to arrive at the correct interpretation of any enactment must familiarise himself not only with the provisions of the General Clauses Acts but also with other principles of interpretation as found in authoritative works on the subject and in judicial decisions.

Most of the standard commentaries pertain only to the Central Act. In these commentaries the State Acts are often included in bare form in an appendix. Thus, no commentary is available on the State General Clauses Acts. The U.P. General Clauses Act, 1904 was different from the Central Act of 1897 in some respects, particularly in respect of the provision laying down when an Act of Legislature shall be deemed to come into force. The U.P. Amendment Act No. 54 of 1975 has made further additional provisions which were not contained in the Central Act. Several new definitions have been added in section 4, and several new sections, namely, sections 4-A, 6-A, 6-B, 6 C, 8(2), 10-A, 10-B, 10-C, 19-A, 20(2) and 23-A, have been inserted. It is necessary to have familiarity with these new sections and definitions as well.

It was accordingly felt that this Institute should itself undertake the publication

of the U.P. General Clauses Act, 1904 in diglot form so that it may be available to the presiding officers of all courts. These days most of the courts subordinate to the High Court, besides some judges of the High Court, have been delivering judgments and passing orders in Hindi and it is hoped that the progress in future in this direction will be even speedier. Considering this fact we have given short comments on the provisions of the Act in Hindi alone, but the English text of each provision has also been given.

Although only short comments have been given, endeavour has been made to touch all important aspects and to include recent rulings relating to each provision. It so happens that most of the rulings pertain to the Central Act of 1897, but they will equally apply to the provisions of the State Act which are *in pari materia* with the former. The corresponding provisions of the Central Act have also been referred to at appropriate places, and the differences between the two Acts have also been indicated. References have also been given to the law reports available in Hindi. This will obviate the need of the presiding officers themselves attempting a translation into Hindi of the rulings in English which they may refer in their judgments and orders.

The work has been undertaken at my request by Dr. Moti Babu, retired District Judge, who is Editor-in-Chief of the excellent Hindi periodical "*Uchchatam Nyayalaya Nirnai-Saar.*" This Institute is thankful to him for the same.

Copies of the book will be supplied free of cost to all judicial officers who come to this Institute for training and also to all other judicial officers already in service. Publication of reading materials of use to the judicial officers is an important part of the continuing training programme undertaken by this Institute. We have already published the first volume of *Nyayik Marg-Darshika* which is a compilation of material of special use to the judicial officers. We have also undertaken the publication of annotated editions of the General Rules (Civil) and the General Rules (Criminal). Brochures containing lectures delivered at this Institute and other reading material are also being published from time to time. The Institute also proposes to bring out a journal which will contain contributions from judicial officers and hon'ble Judges.

I hope the publication will be found useful by all concerned.

Institute of Judicial Training
& Research, U.P.,
1/19, Vishwas Khand-1,
Gomti Nagar,
Lucknow.

K. N. GOYAL
Retired Judge
Allahabad High Court
HONORARY DIRECTOR

भूल सुधार

पृ.	1	प्राधिकृत पाठ में बृहत् नाम तथा उद्देशिका में "यूनाइटेड प्राविसेज" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश" है।				
,,	1	पंक्ति	4	"समकेन"	के स्थान पर	"समेकन" पढ़ें
,,	2	,,	34	"person"	,,	"persons" ,,
,,	4	,,	17	"उसमें"	,,	"उनमें" ,,
,,	,,	अंतिम	पंक्ति	"puf-"	,,	"pur-" ,,
,,	6	पंक्ति	8	"किसी भूबद्ध"	,,	"भूबद्ध किसी" ,,
,,	7	,,	4	"उसका"	निकाल दें।	
,,	8	,,	26	"persons"	के स्थान पर	"person" पढ़ें
,,	10	,,	3	"प्रपत्र"	निकाल दें।	
,,	25	,,	24	"या"	के स्थान पर	"अथवा" पढ़ें
,,	27	,,	2	"6 (क)"	,,	"6-क" पढ़ें
,,	31	,,	1	"पार्श्व-वं टिप्पणियों"	,,	"पार्श्व-टिप्पणियों" ,,
,,	32	,,	19	"वाणिज्य"	,,	"वाणिज्या" ,,
,,	35	,,	11	"नियुक्त"	,,	"नियुक्ति" ,,
,,	,,	,,	28	"इस सम्बन्ध"	,,	"सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध" ,,
,,	36	,,	24	"वह"	,,	"यह" ,,
,,	37	,,	24	उपधारा की सं. (1) शीर्षक के बाद पढ़ें		
,,	41	,,	26	,,	,,	,, ,,
,,	44	,,	34	,,	,,	,, ,,
,,	53	,,	5	,,	,,	,, ,,
,,	43	,,	8	"उपविधियों"	के स्थान पर	"उपविधियों के प्रारूप के" पढ़ें
,,	44	,,	20	"अनुपालन"	के स्थान पर	"अननुपालन" ,,
,,	46	,,	32	"अधिनियम को"	,,	"अधिनियम द्वारा" ,,
,,	46	,,	32	"परिष्कारों"	,,	"परिष्कार" ,,
,,	55	,,	18	"आध्यादेश"	के स्थान पर	"अध्यादेश" ,,

विषय सूची

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904

धारा	शीर्षक	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
2.	निरसित	
3.	अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना	1
4.	परिभाषाएं	2
	1. दुष्प्रेरण	2, 15
	2. कार्य	2, 15
	3. शपथपत्र	2, 16
	4. आगरा	2
	4-क. कृषि वर्ष	3
	5. सहायक कलेक्टर	3
	6. बैरिस्टर	3
	7. राजस्व परिषद्	3
	7-क. केन्द्रीय अधिनियम	3, 16
	7-ख. केन्द्रीय सरकार	3, 16
	8. अध्याय	3
	8-क. खण्ड	3, 16
	9. कलेक्टर	3
	10. प्रारम्भ	4, 17
	11. आयुक्त	4
	11-क. संविधान	4
	11-ख. पुत्री	4
	11-ग. दिन	4, 17
	12. जिला न्यायाधीश	4, 17
	12-क जिला मजिस्ट्रेट	4
	13. दस्तावेज	4, 17

14.	अधिनियमिति	5, 17
15.	पिता	5
16.	वित्तीय वर्ष	5
17.	सद्भावपूर्वक	5, 17
18.	गजट	5
19.	माल	5, 17
19-क.	सरकार	5
19-ख.	सरकारी प्रतिभूतियां	5
19-ग.	राज्यपाल	5
20.	उगी फसलें	6
21.	उच्च न्यायालय	6
22.	[निरसित]	
23.	स्थावर सम्पत्ति	6, 17
24.	कारावास	6
24-क.	विधिक प्रतिनिधि	6, 18
25.	स्थानीय प्राधिकारी	6, 18
26.	स्थानीय निधि	7
27.	मजिस्ट्रेट	7
28.	मास	7, 18
28-क.	माता	7
29.	जंगम सम्पत्ति	7
29-क.	अधिसूचना	7
30.	शपथ	8
31.	अपराध	8, 18
32.	भाग	8
33.	व्यक्ति	8, 19
33-क.	विहित	8
33-ख.	जनता	8
34.	लोक न्यूसेंस	8, 19
35.	रजिस्ट्रीकृत	8
36	विनियम	8
37.	नियम	9

38.	अनुसूची	9
39.	अनुसूचित बैंक	9
39-क.	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां	9
40.	धारा	9
41.	हस्ताक्षर	9, 19
42.	पुत्र	9
42-क.	राज्य	9
42-ख.	परिनियत संलेख	10, 19
42-ग.	राज्य सरकार	10
43.	उपधारा	10
44.	शपथ लेना	10
44-क.	अस्थायी अधिनियम	10, 20
45.	उत्तर प्रदेश	10
46.	उत्तर प्रदेश अधिनियम	11
47.	जलयान	11
48.	विल	11, 20
49.	लेखन	12, 20
50.	वर्ष	12
51.	केन्द्रीय अधिनियम का निर्देश	12
52.	राजस्व डिवीजन, आदि का निर्देश	12
53.	जिला न्यायाधीश, आदि का निर्देश	12, 20
4-क.	व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पद	20
5.	अधिनियमितियों का प्रवर्तन में आना	21
6.	निरसन का प्रभाव	22
6-क.	अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय	25
6-ख.	अवसान का प्रभाव	25
6-ग.	अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली धारा का निरसन या अवसान	25
7.	निरसित अधिनियमितियों का पुनर्जीवित होना	26
8.	निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन	27
9.	समय का प्रारम्भ और पर्यवसान	28
10.	समय की संगणना	29
10-क.	पार्श्व-टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना	31

10-ख.	निगमन का प्रभाव	31
10-ग.	प्रपत्र में रूपभेद	32
11.	दूरियों की माप	32
12.	अधिनियमितियों में शुल्क का आनुपातिक समझा जाना	32
13.	लिंग और वचन	33
14.	प्रदत्त शक्तियों का समय-समय पर प्रयोक्तव्य होना	34
15.	नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की शक्ति का होना	34
16.	नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना	35
17.	कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन	36
18.	उत्तरवर्ती	36
19.	कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ	36
19-क.	आनुषंगिक शक्तियां	37
20.	अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए परिनियत संलेखों का अर्थान्वयन	37
21.	आदेशों, नियमों या उपविधियों के बनाने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोड़ने, उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने, या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना	38
22.	अधिनियमितियों के प्रकाशन और प्रारम्भ होने के बीच परिनियत संलेख जारी किया जाना	40
23.	नियमों या उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने के सम्बन्ध में लागू होने वाले उपबंध	41
23-क.	नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मण्डल का नियंत्रण	44
24.	निरसित और पुनःअधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन की गई नियुक्तियों, जारी की गई अधिसूचनाओं, आदेशों आदि का चालू रहना	46
25.	जुर्मानों की वसूली	48
26.	दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उपबन्ध	49
27.	डाक द्वारा तामील का अर्थ	51
28.	अधिनियमितियों का प्रोद्धरण	53
29.	वर्तमान अधिनियमितियों में नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध के प्रति निर्देश	54
30.	गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन के अध्यादेशों और विनियमों पर लागू होना	55

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 1 सन्1904]

1887 तथा 1896 के यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्टों
के समेकन और विस्तारण के लिए
अधिनियम

यह इष्टकर है कि 1887 तथा 1896 के यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्टों का समेकन और विस्तारण किया जाए;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

प्रारम्भिक

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–** (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 कहलाएगा; और

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2– [निरसित]

3– **अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना :–** (1) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाए गए हों।

(2) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में

An Act to consolidate and extend the United Provinces General Clauses Acts, 1887 and 1896

Whereas it is expedient to consolidate and extend the United Provinces General Clauses Acts, 1887 and 1896;

It is hereby enacted as follows :

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904; and

(2) It shall come into force at once.

2. • • • •

3. Application of the Act to other enactments.– (1) The provisions of this Act shall apply to this Act and to all Uttar Pradesh Acts, whether made before or after the commencement of this Act.

(2) The provisions of this Act in their application to any enactment or statu-

इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमिति या संलेख के, जिसका निर्वचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

व्याख्या

इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं की शब्दावली की ओर ध्यान देने पर प्रकट होगा कि इनकी व्यवस्थाएं अधिनियमों के निर्वचन के लिए हैं। किन्तु धारा 30 ने इन्हें अध्यादेशों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया है। और इस धारा की उपधारा (2) इन्हें अन्य अधिनियमितियों तथा परिनियत संलेखों के सम्बन्ध में लागू करती है। हां, यदि उनमें कोई भिन्न बात अपेक्षित हो तो उस अपेक्षा की सीमा तक यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

"उत्तर प्रदेश अधिनियम" "अधिनियमिति" तथा "परिनियत संलेख" के अर्थों के लिए आगे धारा 4 के क्रमशः खण्ड (46), (14) व (42-ख) देखिए।

साधारण परिभाषाएं

4– **परिभाषाएं** :– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हो, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिनियमों में–

(1) **दुष्प्रेरण** :– 'दुष्प्रेरण" का उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता में है;

(2) **कार्य** :– "कार्य" का प्रयोग जब किसी अपराध या किसी सिविल दोष के प्रति निर्देश से किया जाता है तो उसके अन्तर्गत कार्याविलि भी आएगी और उन शब्दों का, जो किए गए कार्यों के प्रति निर्देश करते हैं, विस्तार अवैध लोपों तक भी होगा;

(3) **शपथपत्र** :– "शपथपत्र" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, प्रतिज्ञान और घोषणा भी आएंगी;

(4) **आगरा** :– "आगरा" का तात्पर्य उस राज्यक्षेत्र से होगा जो 22 मार्च, 1902 के

---

tory instrument shall be subject to any contrary requirements of the context of the enactment or instrument that is to be interpreted.

GENERAL DEFINITIONS

4. Definitions.– In all Uttar Pradesh Acts, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(1) Abet.–"Abet" with its grammatical variations and cognate expressions, shall have the same meaning as in the Indian Penal Code;

(2) Act.–"Act" used with reference to an offence or a civil wrong shall include a series of acts, and words which refer to acts done extend also to illegal omissions;

(3) Affidavit.–"Affidavit" shall include affirmation and declaration in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(4) Agra.–"Agra" shall mean the territories known as the North-Western

पूर्व नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज कहलाता था;

(4-क) **कृषि वर्ष** :– "कृषि वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा;

(5) **सहायक कलेक्टर** :– "सहायक कलेक्टर" के अन्तर्गत सहायक आयुक्त भी होगा;

(6) **बैरिस्टर** :– "बैरिस्टर" का तात्पर्य इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड के बैरिस्टर या स्काटलैण्ड की फैकल्टी आफ ऐडवोकेट्स के सदस्य से होगा;

(7) **राजस्व परिषद्** :– "राजस्व परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद् से होगा;

(7-क) **केन्द्रीय अधिनियम** :– "केन्द्रीय अधिनियम" का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;

(7-ख) **केन्द्रीय सरकार** :– "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में है;

(8) **अध्याय** :– "अध्याय" का तात्पर्य उस अधिनियम के अध्याय से होगा जिसमें वह शब्द आता हो;

(8-क) **खण्ड** :– "खण्ड" का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के, जिसमें वह शब्द आए, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा;

(9) **कलेक्टर** :– "कलेक्टर" का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से होगा और उसके अन्तर्गत कोई उपायुक्त तथा देहरादून का अधीक्षक भी होगा;

Provinces previously to the 22nd day of March, 1902;

(4-A) Agricultural year.–"Agricultural year" shall mean the year commencing on the first day of July;

(5) Assistant Collector.–"Assistant Collector" shall include an Assistant Commissioner;

(6) Barrister.–"Barrister" shall mean a barrister of England or Ireland, or a member of the Faculty of Advocates in Scotland;

(7) Board of Revenue.–"Board of Revenue" shall mean the Board of Revenue for Uttar Pradesh;

(7-A) Central Act.–"Central Act" shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897;

(7-B) Central Government.–"Central Government" shall have the same meaning as in the General Clauses Act, 1897;

(8) Chapter.–"Chapter" shall mean a Chapter of the Act in which the word occurs;

(8-A) Clause.–"Clause" shall mean a sub-division (not being a sub-section) of the section or sub-section in which the word occurs;

(9) Collector.–"Collector" shall mean the chief officer in-charge of the Revenue administration of a district, and shall include a Deputy Commissioner and the Superintendent, Dehra Dun;

(10) **प्रारम्भ** :– "प्रारम्भ" का उपयोग जब किसी अधिनियम के प्रति निर्देश से किया जाता है तो उसका तात्पर्य उस दिन से होगा जिस दिन वह अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(11) **आयुक्त** :– "आयुक्त" का तात्पर्य डिवीजन के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से होगा;

(11-क) **संविधान** :– "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से होगा;

(11-ख) **पुत्री** :– "पुत्री" के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक-ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्री भी आएगी;

(11-ग) **दिन** :– "दिन" का तात्पर्य अर्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगी;

(12) **जिला न्यायाधीश** :– "जिला न्यायाधीश" का तात्पर्य आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय के न्यायाधीश से होगा, किन्तु अपनी मामूली या गैरमामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता हुआ उच्च न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आएगा;

(12-क) **जिला मजिस्ट्रेट** :– "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा, और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप आयुक्त भी होगा;

(13) **दस्तावेज** :– "दस्तावेज" के अन्तर्गत ऐसा कोई विषय आएगा जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन या उसमें से एक से अधिक साधन द्वारा जो उस विषय को अभिलिखित करने के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो या उपयोग

---

(10) Commencement.–"Commencement", used with refrence to an Act, shall mean the day on which the Act comes into force;

(11) Commissioner.–"Commissioner" shall mean the chief officer in charge of the Revenue administration of a division;

(11-A) Constitution –"Constitution" shall mean the Constitution of India;

(11-B) Daughter.–"Daughter" in the case of any person the law applicable to whom permits the adoption of a daughter, shall include an adopted daughter;

(11-C) Day.–"Day" shall mean a period of twenty-four hours beginnin at midnight ;

(12) District Judge.–"District Judge" shall mean the Judge of a principal Civil Court of original jurisdiction, but shall not include a High Court in the exercise of its ordinary or extraordinary original civil jurisdiction;

(12-A) District Magistrate.–"District Magistrate" shall mean a person appointed as such under sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and shall include the Deputy Commissioner of a District;

(13) Document.–"Document" shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, which is intended to be used, or which may be used, for the puf-

किया जा सके, लिखित, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो;

(14) **अधिनियमिति** :– "अधिनियमिति" के अन्तर्गत विनियम (एतद्पश्चात् यथापरिभाषित) तथा बंगाल, मद्रास या मुम्बई संहिता का कोई विनियम आएगा तथा इसके अन्तर्गत किसी अधिनियम में या यथापूर्वोक्त किसी विनियम में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध भी आएगा;

(15) **पिता** :– "पिता" के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी स्वीय विधि दत्तक-ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पिता भी आएगा;

(16) **वित्तीय वर्ष** :– "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से होगा;

(17) **सद्भावपूर्वक** :– कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई समझी जाएगी यदि वह तथ्यत: ईमानदारी से की गई हो, चाहे वह उपेक्षा से की गई हो या नहीं;

(18) **गजट** :– "गजट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट से होगा;

(19) **माल** :– "माल" के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुएं तथा पदार्थ भी आएंगे और विद्युत् भी आएगी;

(19-क) **सरकार** :– "सरकार" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आएगी;

(19-ख) **सरकारी प्रतिभूतियां** :– "सरकारी प्रतिभूतियां" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा;

(19-ग) **राज्यपाल** :– "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से होगा;

---

pose of recording the matter;

(14) Enactment.–"Enactment" shall include a Regulation (as hereinafter defined) and any Regulation of the Bengal, Madras or Bombay Code, and shall also include any provision contained in any Act or in any such Regulations as aforesaid ;

(15) Father.–"Father", in the case of any one whose personal law permits adoption, shall include an adoptive father ;

(16) Financial year.–"Financial year" shall mean the year commencing on the first day of April ;

(17) Good faith.–A thing shall be deemed to be done in "good faith" where it is in fact done honestly whether it is done negligently or not;

(18) Gazette.–"Gazette" shall mean the official Gazette for Uttar Pradesh;

(19) Goods.–"Goods" shall include all materials, commodities and articles, and shall also include electricity;

(19-A) Government.–"Government" shall include the Central Government and any State Government;

(19-B) Government securities.–"Government securities" shall mean securities of the Central Government or any State Government;

(19-C) The Governor.–"The Governor" shall mean the Governor of Uttar Pradesh ;

(20) **उगी फसलें** :– "उगी फसलें" के अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलें जो भूबद्ध हों तथा पेड़ों और झाड़ियों पर लगे पत्ते, फूल और फल तथा पेड़ों और झाड़ियों के अन्दर का रस भी आएगा;

(21) **उच्च न्यायालय** :– "उच्च न्यायालय" या "उच्च न्यायालय, इलाहाबाद" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा;

(22) [निरसित]

(23) **स्थावर सम्पत्ति** :– "स्थावर सम्पत्ति" के अन्तर्गत भूमि, भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और वे वस्तुएं जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, आएंगी, किन्तु इसके अन्तर्गत खड़ा काष्ठ, उगी फसलें या घास नहीं आएगी;

(24) **कारावास** :– "कारावास" का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता में यथापरिभाषित दोनों में से किसी भांति के कारावास से होगा;

(24-क) **विधिक प्रतिनिधि** :– "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में है;

(25) **स्थानीय प्राधिकारी** :– "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी म्यूनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, कैण्टूनमेण्ट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से, जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिए बंध रूप से हकदार हो या जिसे उसका

---

(20) Growing crops.–"Growing crops" shall include crops of all sorts attached to the soil, and leaves, flowers and fruits upon, juice in, trees and shrubs;

(21) The High Court.–"The High Court" or "the High Court of Judicature at Allahabad" shall mean the High Court for Uttar Pradesh;

(22) * * * *;

(23) Immovable property.–"Immovable property" shall include land, benefits to arise out of land, and things attached to the earth, or permanenty fastened to anything attached to the earth, but shall not include standing timber, growing crops or grass;

(24) Imprisonment –"Imprisonment" shall mean imprisonment of either description as defined in the Indian Penal Code;

(24-A) Legal representative –"Legal representative" shall have the same meaning as in the Code of Civil Procedure, 1908;

(25) Local authority.–"Local authority" shall mean a municipal board or Nagarpalika, Nagar Mahapalika, Notified Area Committee, Town Area Committee, Zila Parishad, Cantonment Board, Kshettra Samiti, Gaon Sabha or any other authority constituted for the purpose of Local Self-Government or village administration

नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा;

(26) **स्थानीय निधि** :– "स्थानीय निधि" का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा जिसका प्रबन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के, या विशिष्ट विषयों, जैसे उसका अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदों को सृजित करने या उन्हें भरने की स्वीकृति देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने, के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा, राज्य सरकार का नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय का राजस्व भी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाए;

(27) **मजिस्ट्रेट** :– "मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत ऐसा हर व्यक्ति आएगा जो तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो;

(28) **मास** :– "मास" का तात्पर्य ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित मास से होगा;

(28-क) **माता** :– "माता" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक-ग्रहण अनुज्ञात करती हो दत्तक माता भी आएगी;

(29) **जंगम सम्पत्ति** :– "जंगम सम्पत्ति" का तात्पर्य स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर हर भांति की सम्पत्ति से होगा;

(29-क) **अधिसूचना** :– "अधिसूचना" या "सार्वजनिक अधिसूचना" का तात्पर्य राज्य

---

or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund;

(26) Local fund.–"Local fund" shall mean revenues administered by a body which by law or rule having the force of law is controlled by the State Government, whether in regard to the proceedings generally or to specific matters such as the sanctioning of its budget, sanction to the creation or filling up of particular posts, the making of leave, pension or other rules, regulations or bye-laws, and shall include the revenue of any other body which may be specifically notified by the State Government as such ;

(27) Magistrate.–"Magistrate" shall include every person exercising all or any of the powers of Magistrate under the Code of Criminal Procedure, for the time being in force ;

(28) Month.–"Month" shall mean a month reckoned according to the British calendar;

(28-A) Mother.–"Mother" in the case of any person the law applicable to whom permits adoption, shall include an adoptive mother;

(29) Movable property.–"Movable property" shall mean property of every description except immovable property;

(29-A) Notification.–"Notification" or "public notification" shall mean a notification published in the Gazette of the State, and the word "notified" shall be

के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा, और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(30) **शपथ** :– "शपथ" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हो, प्रतिज्ञान और घोषणा भी आएंगी;

(31) **अपराध** :– "अपराध" का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य अथवा लोप से होगा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय किया गया हो;

(32) **भाग** :– "भाग" का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम के भाग से होगा जिसमें वह शब्द आता हो;

(33) **व्यक्ति** :– "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि-निकाय भी आएगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

(33-क) **विहित** :– "विहित" का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन जिसमें वह शब्द आया हो, बनाए गए नियमों द्वारा विहित से होगा;

(33-ख) **जनता** :– "जनता" के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आएगा;

(34) **लोक न्यूसेंस** :– "लोक न्यूसेंस" का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता में यथापरिभाषित लोक न्यूसेंस से होगा;

(35) **रजिस्ट्रीकृत** :– "रजिस्ट्रीकृत" का उपयोग जब किसी दस्तावेज के बारे में किया जाता है तो उसका तात्पर्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी भाग क अथवा भाग ग राज्य में रजिस्ट्रीकृत से होगा;

(36) **विनियम** :– "विनियम" का तात्पर्य गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1870 के

---

construed accordir gly;

(30) Oath.–"Oath" shall include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(31) Offence –"Offence" shall mean an act or omission made punishable by any law for the time being in force;

(32) Part.–"Part" shall mean a part of the Act or Regulation in which the word occurs;

(33) Persons.–"Persons" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

(33-A) Prescribed.–"Prescribed" shall mean prescribed by rules made under the Act in which the word occurs;

(33-B) Public.–"Public" shall include any class or section of the public;

(34) Public nuisance.–"Public nuisance" shall mean a public nuisance as defined in the Indian Penal Code;

(35) Registered.–"Registered", used with refrence to a document, shall mean registered in a Part A State or a Part C State under the law for the time being in force for the registration of documents;

(36) Regulation.–"Regulation" shall mean a regulation made under the

अधीन बनाए गए किसी विनियम से होगा;

(37) **नियम** :– "नियम" का तात्पर्य किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए किसी नियम से होगा और इसके अन्तर्गत किसी अधिनियमिति के अधीन नियम के रूप में बनाया गया विनियम भी आएगा;

(38) **अनुसूची** :– "अनुसूची" का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम की अनुसूची से होगा जिसमें वह शब्द आता हो;

(39) "अनुसूचित बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा;

(39-क) **अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां** :– "अनुसूचित जातियां" तथा "अनुसूचित जन-जातियां" के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं;

(40) **धारा** :– "धारा" का तात्पर्य उस अधिनियम या विनियम की धारा से होगा जिसमें वह शब्द आता हो;

(41) **हस्ताक्षर** :– अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित "हस्ताक्षर" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश से जो अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित "चिह्न" भी आएगा;

(42) **पुत्र** :– "पुत्र" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक-ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आएगा;

(42-क) **राज्य** :– "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, और संविधान के

Government of India, Act, 1870;

(37) Rule.–"Rule" shall mean a rule made in exercise of a power conferred by any enactment, and shall include a regulation made as a rule under any enactment;

(38) Schedule.–"Schedule" shall mean a schedule to the Act or Regulation in which the word occurs;

(39) Scheduled bank.–"Scheduled bank" shall mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934;

(39-A) Scheduled Castes-Scheduled Tribes.–"Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings respectively as in the Constitution;

(40) Section.–"Section" shall mean a section of the Act or Regulation in which the word occurs;

(41) Sign.–"Sign" with the grammatical variations and cognate expressions, shall, with reference to a person who is unable to write his name, include "mark" with its grammatical variations and cognate expressions;

(42) Son –"Son" in the case of any one the law applicable to whom permits adoption, shall include an adopted son;

(42-A) The State.–"The State" shall mean the State of Uttar Pradesh, and as

प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आएगा;

(42-ख) **परिनियत संलेख** :– "परिनियत संलेख" का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उप-विधि से है जो किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई हो और विधि का बल रखती हो;

(42-ग) **राज्य सरकार** :– "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद 258-क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गए कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत, उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिए गए प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आएगी;

(43) **उपधारा** :– "उपधारा" का तात्पर्य उस धारा की, जिसमें वह शब्द आता हो, उपधारा से होगा;

(44) **शपथ लेना** :– अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित "शपथ लेना" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिन्हें शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, प्रतिज्ञान करना और घोषणा करना आएगे;

(44-क) **अस्थायी अधिनियम** :– "अस्थायी अधिनियम" का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा जिसे किसी विनिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विनिष्ट घटना होने पर या किसी विनिष्ट दिन को, प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाना है;

(45) **उत्तर प्रदेश** :– "उत्तर प्रदेश" का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य-

---

respects any period before the com encement of the Constitution, shall include the United Provinces;

(42-B) Statutory instrument.–"Statutory instrument" shall mean any notification, order, scheme, rule or bye-law issued under any enactment and having the force of law ;

(42-C) The State Government.–"The State Government" shall mean the Government of Uttar Pradesh, and as respects functions entrusted under Article 258-A of the Constitution to the Central Government shall include the Central Government acting within the scope of the authority given to it under that Article;

(43) Sub-section.–"Sub-section" shall mean a sub-section of the section in which the word occurs;

(44) Swear.–"Swear", with its grammatical variations and cognate expressions, shall include affirming and declaring in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(44-A) Temporary Act.–"Temporary Act" shall mean an Act which is to cease to have effect or cease to operate on the expiration of a particular period or on the happening of a particular event or on a particular day;

(45) Uttar Pradesh.–"Uttar Pradesh" shall mean all territories for the time

क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्यक्षेत्रों से होगा;

(46) **उत्तर प्रदेश अधिनियम** :– "उत्तर प्रदेश अधिनियम" का तात्पर्य—

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनाई गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट, 1861 के या इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 और 1892 के या इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, 1861 से 1909 तक के या गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1915 के अधीन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेंट गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा, या गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो, और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनाई गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया हो, और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनाई गई कोई विधि भी आएगी;

(47) **जलयान** :– "जलयान" के अन्तर्गत कोई पोत या नौका या नौपरिवहन में उपयोग में लाया जाने वाला किसी अन्य भाँति का जलयान आएगा;

(48) **विल** :– "विल" के अन्तर्गत कोडिसल और सम्पत्ति का स्वेच्छा से मरणोत्तर व्ययन करने वाला प्रत्येक लेख आएगा;

---

being comprised in the territory of Uttar Pradesh under the Constitution;

6) Uttar Pradesh Act.–"Uttar Pradesh Act" shall mean—

(a) as respects any law made before the commencement of the Constitution, an Act made by the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Oudh (or of the United Provinces of Agra and Oudh) in Council under the Indian Councils Act, 1861, or the Indian Councils Acts, 1861 and 1892 or the Indian Councils Acts, 1861 to 1909, or the Government of India Act, 1915, or by the local Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, or by the Provincial Legislature or the Governor of the United Provinces under the Government of India Act, 1935; and

(b) as respects any law made after the commencement of the Constitution, an Act passed by the State Legislature, and shall include any law made in exercise of the powers of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution;

(47) Vessel.–"Vessel" shall include any ship or boat or any other description of vessel used in navigation;

(48) Will.–"Will" shall include a codicil and every writing making a voluntary posthumous disposition of property;

(49) **लेखन** :– "लेखन" के प्रति निर्देश करने वाले पदों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत मुद्रण, शिला-मुद्रण, फोटोचित्रण और शब्दों का दृश्य रूप में रूपण या प्रत्युत्पादन करने के अन्य ढंगों के प्रति निर्देश भी आते हैं, और

(50) **वर्ष** :– "वर्ष" का तात्पर्य ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित वर्ष से होगा;

(51) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हो, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उच्च न्यायालय द्वारा, उस संहिता की धारा 122 के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय-समय पर किए गए किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए उस संहिता के प्रति निर्देश हो;

(52) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह ऐसे राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय-समय पर यथा परिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हो;

(53) जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी हो जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिए समनुदेशित किया जाए।

---

(49) Writing –Expression referring to "writing" shall be construed as including references to printing, lithography, photography and other modes of representing or reproducing words in a visible form; and

(50) Year.–"Year" shall mean a year reckoned according to the British calendar.

(51) Any refrence to a Central Act shall be construed as a reference to that Act as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh and in the case of the Code of Civil Procedure, 1908, as a reference to that Code subject also to any annulments, alterations and additions to the rules contained in the First Schedule thereto made from time to time under Section 122 thereof by the High Court;

(52) Any reference to a revenue division, district or sub-division, or to a local area under the jurisdiction of a local authority, shall be construed as a reference to such revenue division, district or sub-division or to such local area with its limits as altered from time to time.

(53) Any reference to the District Judge, Civil Judge or Munsif shall be construed as including a reference to an Additional District Judge, an Additional Civil Judge or, as the case may be, an Additional Munsif to whom a case is assigned by the district judge (to whom such officer is administratively subordinate) for disposal.

व्याख्या

1. सामान्य :– इस धारा में कुछ ऐसे शब्दों और पदों की परिभाषाएं दी गई हैं जो उत्तर प्रदेश विधायन में प्रायः प्रयोग में आते हैं। जैसा कि इस धारा के प्रारम्भिक शब्दों से प्रकट होगा, ये सभी उत्तर प्रदेश अधिनियमों को लागू होती हैं, सिवाय उस दशा के जबकि विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध हो, अर्थात् जब संदर्भ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो। अतः यदि यहां परिभाषित किसी शब्द का प्रयोग किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किया जाता है तो सामान्यतः उसका वही अर्थ होगा जो यहां परिभाषा में दिया गया है; किन्तु यदि संदर्भ से भिन्न अर्थ प्रतीत हो तो यहां परिभाषा लागू नहीं होगी। उदाहरणार्थ, खण्ड (33) में दी गई "व्यक्ति" की परिभाषा में कम्पनी, फर्म आदि भी आती हैं; किन्तु यदि इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संदर्भ में किया जाए जहां कार्य विशिष्ट मनोभाव से किए जाने पर ही अपराध बनता है तो कम्पनी आदि का वैसा मनोभाव रखने में असमर्थ होने के कारण उन्हें उस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। [आगे खण्ड (33) की व्याख्या देखिए]। दूसरे, यदि यहां परिभाषित किसी शब्द या पद की परिभाषा किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में दे दी गई हो तो प्रथमतः वही परिभाषा लागू होगी। यदि वह परिभाषा स्वतःपूर्ण हो तो यहां दी गई परिभाषा लागू नहीं होगी; और यदि वह परिभाषा अर्थ-संकोचक या अर्थ-विस्तारक हो तो यहां दी गई परिभाषा उस संकोच या विस्तार के साथ ही लागू होगी।

परिभाषाएं पांच प्रकार की होती हैं :—

(i) **स्वतःपूर्ण (exhaustive) परिभाषा** :– इसके लिए यहां "का तात्पर्य.....से होगा" का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, देखिए – खण्ड (4), (6), (7) आदि। केन्द्रीय विधायन में उसके लिए "से अभिप्रेत है" का प्रयोग होता है। इस प्रकार परिभाषित शब्द का केवल वही अर्थ होगा जो परिभाषा में दिया गया है, देखिए – एस के.गुप्ता बनाम के.पी. जैन – 1979 सु.को. 734 : (1980) 1 उम.नि प. 721।

(ii) **समावेशी (inclusive) या अर्थ-विस्तारक परिभाषा** :– इसके लिए यहां "के अन्तर्गत...भी होगा" का प्रयोग किया गया है। उसके लिए "के अन्तर्गत... (भी) आता है" या "के अन्तर्गत... (भी) है" का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार परिभाषित शब्द का केवल उतना अर्थ नहीं होगा जितना परिभाषा में दिया गया है। उसका सामान्य अर्थ लिया जाएगा और उसके अतिरिक्त उसमें वह बात भी शामिल समझी जाएगी जो परिभाषा में दी गई है; देखिए – एस के. गुप्ता बनाम के.पी. जैन – 1979 सु.को. 734। उदाहरणार्थ, देखिए – खण्ड (3) व (5) आदि।

(iii) **अपवर्जक (exclusive) या अर्थ-संकोचक परिभाषा** :– इसके लिए "के अन्तर्गत... नहीं है" या "के अन्तर्गत... नहीं आएगा" का प्रयोग किया जाता है। ऐसे परिभाषित शब्द का सामान्य अर्थ करके उसमें से केवल उतनी बात निकाल दी जाएगी जो परिभाषा में दी गई है।

(iv) **मिश्रित परिभाषा** :– इसमें उपर्युक्त तीन प्रकारों में से किन्हीं दो या अधिक का समावेश होता है। उदाहरणार्थ, खण्ड (28) में दी गई "स्थावर सम्पत्ति" की परिभाषा देखिए। उसमें "के अन्तर्गत आएंगी" तथा "के अन्तर्गत नहीं आएंगी" दोनों का प्रयोग किया गया है। परिणामतः "स्थावर सम्पत्ति" पद का सामान्य अर्थ करके वे वस्तुएं जोड़ दी जाएंगी जिनके विषय में "के अन्तर्गत आएंगी" कहा गया है और वे वस्तुएं निकाल दी जाएंगी जिनके लिए "के अन्तर्गत नहीं आएंगी" कहा गया है। वैसे ही खण्ड (12) में दी गई जिला न्यायाधीश पद की परिभाषा के प्रारम्भिक अंश के अनुसार अर्थ करके उसमें से उच्च न्यायालय निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार खण्ड (26) में परिभाषा स्वतःपूर्ण होने के अतिरिक्त समावेशी भी है। अतः स्वतःपूर्ण वाला अर्थ करके समा-

वेशी अंश वाला अर्थ भी जोड़ दिया जाएगा। देखिए – जागीर सिंह बनाम बिहार राज्य – 1976 सु.को. 997।

(v) **निर्देशात्मक** (referen ial) **परिभाषा** :- इसमें शब्द या पद की स्वयं परिभाषा न देकर किसी अन्य अधिनियम में दी गई परिभाषा में अपनाए गए अर्थों को अपना लिया जाता है। उदाहरणार्थ, खण्ड (1) में दिया गया है कि 'दुष्प्रेरण' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता में है; अर्थात् उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो उक्त संहिता की धारा 107 में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता में दी गई परिभाषाएं स्वतः उसी अधिनियम को लागू होती हैं; उनके अन्यत्र प्रयोग के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। अतः वह परिभाषा स्वतः उत्तर प्रदेश अधिनियम को लागू नहीं होगी। इसी दृष्टि से खण्ड (1) में उपर्युक्त व्यवस्था की गई। इसी प्रकार की अन्य भी अनेक परिभाषाएं हैं। उदाहरणार्थ, देखिए – खण्ड (7क), (7ख), (24क) आदि। निर्देशित विधि में संशोधन के प्रभाव पर आगे धारा 8 व उसकी व्याख्या देखिए।

अतः इनमें से किसी भी परिभाषा का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार की है और तदनुसार अर्थ किया जाना चाहिए।

2. तुल्य विधि :– इन परिभाषाओं के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश "साधारण खण्ड अधिनियम, 1897" नामक केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण करती हैं। जहां केन्द्रीय अधिनियम वाली परिभाषा में कोई अर्थ विषयक परिवर्तन नहीं किया गया है वहां के द्वारा परिभाषा की व्याख्या करने वाले निर्णय यहां दी गई परिभाषा के संदर्भ में भी उपयोगी होंगे। यहां इस धारा के ऐसे विभिन्न खण्डों के तत्संबंधी केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लेख किया जाता है :

उ.प्र. अधिनियम की धारा 4 का खण्ड	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 का खण्ड	उ.प्र. अधिनियम की धारा 4 का खण्ड	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 का खण्ड
1	1	28	35
2	2	29	36
3	3	30	37
6	4	31	38
8	9	32	40
9	11	33	42
10	13	34	48
11	14	37	51
11-क	15	38	52
12	17	40	54
13	18	41	56
14	19	42	57
15	20	43	61
16	21	44	62
17	22	47	63
19-क	23	48	64
19-ख	24	49	65
24	27	50	66
27	32		

इनके अतिरिक्त खण्ड (7–क) व (7–ख) में केन्द्रीय अधिनियम वाली परिभाषा निर्देश द्वारा अपना ली गई है।

3. खण्ड (1) – **दुष्प्रेरण** :– "दुष्प्रेरण" "दुष्प्रेरित करना" "दुष्प्रेरक" आदि शब्दों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता में है। उस संहिता की सुसंगत धाराएं इस प्रकार हैं :–

107. **किसी बात का दुष्प्रेरण** – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; **अथवा**

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; **अथवा**

तीसरा – उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1 – जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन[1] द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित[2] या उपाप्त[3] करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2 – जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में मदद करता है, यह कहा जाता है।

108. **दुष्प्रेरक**[4] :– वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1 – किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2 – दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

स्पष्टीकरण 3 – यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि-अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो।

स्पष्टीकरण 4 – अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

स्पष्टीकरण 5 – षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह षड्यन्त्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

4. खण्ड (2) – **कार्य** :– इसमें वही दिया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 32 व 33 में दिया गया है। "अवैध" की जो परिभाषा उस संहिता की धारा 43 में दी गई है वही अर्थ सामान्यतः लिया जाता है और यहां भी होगा। वह परिभाषा इस प्रकार है :–

43. "**अवैध**" – "अवैध" शब्द उस हर बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो।

---

1. Misrepresentation. 2. Cause. 3. Procure. 4. Abettor.

यह ध्यान रखने योग्य है कि यह परिभाषा वहीं लागू होगी जहां बात किसी अपराध की हो या ऐसे कार्य की हो जिसके लिए सिविल कार्यवाही की जा सके।

5. **खण्ड (3) – शपथपत्र** :– खण्ड (30) भी देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 19 देखिए।

6. **खण्ड (7–क) – केन्द्रीय अधिनियम** :– साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (7) में दी गई परिभाषा इस प्रकार है :–

(7) "केन्द्रीय अधिनियम" से संसद् का अधिनियम अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएंगे—

(क) संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित डोमिनियन विधान मंडल का या भारतीय विधान मंडल का अधिनियम; तथा

(ख) ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा अथवा विधायी हैसियत में कार्य करते हुए गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया अधिनियम;

7. **खण्ड (7–ख) – केन्द्रीय सरकार** :– साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (8) में दी गई परिभाषा इस प्रकार है :—

(8) "केन्द्रीय सरकार" से—

(क) संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की गई किसी बात के सम्बन्ध में, यथास्थिति, गवर्नर जनरल या सपरिषद् गवर्नर जनरल अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएंगे –

(i) गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 124 की उपधारा(1) के अधीन किसी प्रान्त की सरकार को न्यस्त कृत्यों के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई प्रान्तीय सरकार; तथा

(ii) किसी मुख्य आयुक्त प्रान्त के प्रशासन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (3) के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करता हुआ मुख्य आयुक्त; तथा

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् की गई या की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में राष्ट्रपति अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएंगे—

(i) संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की सरकार को न्यस्त कृत्यों के सम्बन्ध में उस खण्ड के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई राज्य सरकार;

(ii) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भाग ग राज्य के प्रशासन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 243 के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करते हुए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्यपाल या पड़ोसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी; तथा

(iii) किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करते हुए उसका प्रशासक;

8. **खण्ड (8–क) – खण्ड** :– जब धारा का विभाजन संख्यांकित स्वतंत्र वाक्यों में होता है तो उन्हें "उपधारा" कहा जाता है; किन्तु जब अंश संख्यांकित या अक्षरांकित तो हो किन्तु स्वतंत्र वाक्य न होकर किसी प्रधान वाक्य से जुड़ा हो तो वह "खण्ड" कहलाता है, जैसेकि इस धारा के विभिन्न संख्यांकित अंश स्वतंत्र वाक्यों के रूप में न होकर धारा के प्रारम्भ में आने वाले शब्दों "जब तक····· विरुद्ध न हो" से

जुड़े हुए हैं। खण्ड धारा का अंग ही नहीं, उपधारा का भी होता है, जैसे कि आगे धारा 5 की उपधारा (1) में दो खण्ड हैं। वैसे "खण्ड" शब्द का प्रयोग अन्यथा भी होता है।

9. **खण्ड (10) – प्रारम्भ** :– कोई अधिनियम प्रारम्भ हुआ तब माना जाता है जब वह प्रवृत्त होता है या प्रवर्तन में आता है। प्रवर्तन में आए बिना विधि प्रयोग में नहीं आ सकती – **उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रशेखर सिंह** – 1970 सु.को. 398 : (1970) 2 उम.नि.प. 570। इस सम्बन्ध में आगे धारा 5 देखिए।

10. **खण्ड (11-ग) – दिन** :– विधि में "दिन" और "तारीख" प्रायः पर्याय हैं। रात के 12 बजे एक दिन समाप्त होता है; तभी दूसरा दिन आरम्भ होता है। कुछ विधियों में इस दिन को दिन व रात दो भागों में भी विभाजित किया गया है, जैसे कि श्रम विधियों में काम के समय के संदर्भ में। एक दिन के अवसान व दूसरे दिन के प्रारम्भ के बीच कोई संधिकाल नहीं होता। रात्रि के बारह बजते ही दूसरा दिन प्रारम्भ हो जाता है।

11. **खण्ड 12 – जिला न्यायाधीश** :– जब तक उस आशय की विशिष्ट व्यवस्था न हो, अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। इस सम्बन्ध में देखिए – **कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य** – 1956 सु.को. 391। उत्तर प्रदेश के सिविल न्यायालयों की व्यवस्था के लिए देखिए बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 3, आदि। संविधान के अनुच्छेद 236 में दी गई "जिला न्यायाधीश" की परिभाषा केवल उसी को लागू होती है; अन्य विधियों को नहीं। "जिला न्यायाधीश" में अपर जिला न्यायाधीश के समावेश के लिए आगे खण्ड (53) देखिए।

12. **खण्ड 13 – दस्तावेज** :– यह परिभाषा स्वतःपूर्ण नहीं है। यह केन्द्रीय साधारण खंड अधिनियम की धारा 3(18) की आवृत्ति मात्र है। इसी प्रकार की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 29 में तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में दी गई है, यद्यपि वे स्वतःपूर्ण के रूप में हैं। "लेखन" की परिभाषा के लिए आगे खण्ड (49) देखिए। विदेशी करेंसी दस्तावेज है; किन्तु भारतीय करेंसी नोट को सामान्यतः दस्तावेज नहीं माना जाएगा – **कृष्णन सुकुमारम बनाम प्रवर्तन अधिकारी** – 1968 केरल 208। किन्तु **टेप रेकर्ड दस्तावेज है – शिवाउद्दीन बनाम बृजमोहन** – 1975 सु.को. 1788 : (1975) 3 उम.नि.प. 1455।

13. **खण्ड 14 – अधिनियमिति** :– यद्यपि यहां अधिनियम का उल्लेख नहीं है, किन्तु इस शब्द से पूरा अधिनियम भी अभिप्रेत होता है और उसका कोई भाग भी – **बसन्तराव बनाम श्याम राव** – 1977 सु.को. 2021 : (1978) 3 उम.नि.प. 832। इसी प्रकार विनियम या उसका भाग अधिनियमिति होगा। "विनियम" की परिभाषा के लिए आगे खण्ड (36) देखिए।

14. **खण्ड 17 – सद्भावपूर्वक** :– यह परिभाषा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3(22) की आवृत्ति मात्र है। यह स्मरणीय है कि यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 52 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2(ज) में दी गई परिभाषाओं से अधिक व्यापक है। इसके अनुसार लापरवाही से किया गया ईमानदारी का कार्य भी सद्भावपूर्वक माना जा सकता है, देखिए – **हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य** – 1966 सु.को. 97 तथा **भिवण्डी और निजामपुर नगरपालिका बनाम मे. कैलाश साइजिंग वर्क्स** – 1975 सु.को 529। ईमानदारी सभी परिभाषाओं के अनुसार आवश्यक है – **कैलाश साइजिंग वर्क्स बनाम भिवण्डी नगरपालिका** – 1969 बाम्बे 127।

15. **खण्ड (19) – माल** :– माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) से तुलना कीजिए।

16. **खण्ड (23) – स्थावर सम्पत्ति** :– यह परिभाषा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3(26)

में दी गई परिभाषा से इस दृष्टि से भिन्न है कि उसमें खड़े काष्ठ आदि को स्थावर सम्पत्ति की परिभाषा से नहीं निकाला गया है। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 व रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 2(6) की परिभाषाएं कुछ भिन्न हैं। यहां खड़ा काष्ठ परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि वह काटे जाने के लिए ही होता है। उगी फसल की भी यही बात है। उसकी परिभाषा के लिए ऊपर खण्ड (20) देखिए। इस परिभाषा की व्याख्या के लिए देखिए – **रामरतन बनाम बजरंग लाल** – 1978 सु.को. 1393 : (1979) 2 उम.नि.प. 994। उसके अनुसार वंश परंपरागत सेवायत पद भी स्थावर सम्पत्ति है। "भूमि में हित" की व्याख्या के लिए देखिए – **श्री श्री तारकेश्वर शिव ठाकुर जिउ बनाम दरदास डे** – 1979 सु.को. 1669 : (1980) 1 उम.नि.प. 790। यद्यपि भावी किराए का हक स्थावर सम्पत्ति है, किराए की बकाया का हक स्थावर सम्पत्ति नहीं है – **गोदावरी बेन बनाम पारीख सोमालाल** – 1978 गुजरात 33। तहबाजारी वसूल करने का अधिकार स्थावर सम्पत्ति है – **श्रीमती द्रौपदी देवी बनाम रामदास** – 1974 इला. 473। इसी प्रकार मछली पकड़ने का हक स्थावर सम्पत्ति माना गया – **बिहार ईस्टर्न गेंजेटिक फिशरमैन कोआपरेटिव सोसाइटी लि. बनाम सिपाही सिंह** – 1977 सु.को. 2149 : (1978) 4 उम.नि.प. 1। खाइयों से खाद खोद करके बेचने का अधिकार भी स्थावर सम्पत्ति माना गया – **हाजी सुबहान बेग बनाम राजस्व बोर्ड** – 1979 इला. 310। जो स्थावर सम्पत्ति नहीं होगी वह जंगम सम्पत्ति होगी – **बालचन्द घण्डीराम बनाम बैंक आफ इण्डिया लि.** – 1968 सु.को. 1475। आगे खण्ड (29) भी देखिए।

17. खण्ड (24-क) – **विधिक प्रतिनिधि** :– इस पद की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(11) में दी गई परिभाषा इस प्रकार है :–

> "विधिक प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की सम्पदा में दखलंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है वहां वह व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसे वह सम्पदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत (descend) होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है;

18. खण्ड (25) – **स्थानीय प्राधिकारी** :– यह परिभाषा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3(31) की भांति है। आवश्यक बात यह है कि स्थानीय प्राधिकारी में नगरपालिक या स्थानीय निधि का प्रबन्ध निहित होना चाहिए – **भारत संघ बनाम आर सी. जैन** – 1981 सु.को. 951 : (1982) 1 उम.नि.प. 326। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकारी माना गया। किन्तु राज्य परिवहन निगम को नहीं माना गया – **वलजी भाई बनाम मुम्बई राज्य** – 1963 सु.को. 1890। गांव सभा तो स्थानीय प्राधिकारी है ही, किन्तु गांवों का समूह मात्र स्थानीय प्राधिकारी न होगा – **हीमनाथ बनाम मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र** – 1968 मणिपुर 45। मण्डी समिति को भी स्थानीय प्राधिकारी माना गया है – **महावीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1979 इला. 3। "स्थानीय निधि" की परिभाषा अगले खण्ड में दी गई है।

19. खण्ड (28) – **मास** :– इससे तात्पर्य केवल जनवरी, फरवरी आदि अंग्रेजी मासों से न होकर उनके अनुसार गणना की गई एक मास की अवधि से है जो कभी भी प्रारम्भ हो सकती है। गणना के लिए देखिए – **दुर्योधन सिंह बनाम भारत संघ** – 1973 दिल्ली 58, **अब्दुल सतीफ मोमानी बनाम आयुक्त, गोरखपुर** – 1968 इला. 44 व **मेहता का मामला** – 1970 आंध्र प्रदेश 234। आगे खण्ड (50) भी देखिए।

20. खण्ड (31) – **अपराध** :–यह केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3(38) की आवृत्ति मात्र

है। यह परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 में दी गई परिभाषा से कुछ भिन्न है तथा सर्वत्र एकरूप में लागू होती है। केवल क्षति को दण्ड नहीं समझा जाएगा – **बनवारी लाल पुरुषोत्तम दास बनाम भारत संघ** – 45 से.टे.के. 480। यह दाण्डिक मामला होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 20 भी देखिए। वहां भी यही परिभाषा लागू होगी – **रमेश चन्द्र मेहता बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य** – 1970 सु.को. 940 : (1969) 2 उम.नि.प. 401।

21. **खण्ड (33) – व्यक्ति** :– यह परिभाषा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3(38) व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 के समान है। इसके अनुसार व्यक्ति तीन प्रकार के होंगे : (i) व्यष्टि अर्थात् नैसर्गिक व्यक्ति, पुरुष, स्त्री व बच्चे; (ii) नियमित निकाय, जैसे कम्पनी, निगम, नगरपालिका आदि, व (iii) अनियमित निकाय, जैसे फर्म, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी आदि। किन्तु "व्यक्ति" शब्द का अर्थ करते समय संदर्भ का विशेष ध्यान रखना होगा। उदाहरणार्थ, जहां मनोभावों की बात हो वहां तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्तित्व से ही होगा, केवल विधिक व्यक्तित्व से नहीं – **महाराष्ट्र राज्य बनाम सिण्डीकेट ट्रान्सपोर्ट कं. प्रा. लि.** – 1964 बाम्बे 195। यही बात फर्म की भागीदारों के सम्बन्ध में लागू होगी – **अग्रवाल ऐण्ड कम्पनी बनाम आय कर आयुक्त** – 1970 सु.को. 1343।

यह भी दर्शनीय है कि यह परिभाषा व्यापक होते हुए भी स्वतःपूर्ण नहीं है, केवल समावेशी है। इसके बाहर भी व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे हिन्दू देवमूर्तियां – **जोगेन्द्र नाथ नस्कर बनाम आय कर आयुक्त** – 1969 सु.को. 1089।

22. **खण्ड (34) – लोक न्यूसेंस** :– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 में दी गई "लोक न्यूसेंस" की परिभाषा इस प्रकार है :–

> 268. **लोक न्यूसेंस** :– वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को, या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिससे उन व्यक्तियों को जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो।
>
> कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।

23. **खण्ड (41) – हस्ताक्षर** :– "हस्ताक्षर" का पूरा अर्थ इस खण्ड में नहीं दिया गया है; किन्तु उसमें "अपना नाम लिखने में असमर्थ" शब्दों से संकेत यही मिलता है कि उससे तात्पर्य अपना नाम लिखने से है – **हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन कं. लि. बनाम भारत संघ** – 1967 सु.को. 526। किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी उसकी ओर से हस्ताक्षर कर सकता है – **श्रीमती संध्या देवी बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण** – 1976 पटना 234। किन्तु यदि विधि में व्यक्ति के अपने हस्ताक्षरों की अपेक्षा हो तो वही होने चाहिए – **कृषिक आय कर आयुक्त बनाम केशव चन्द्र मण्डल** – 1950 सु.को. 265। यदि व्यक्ति हस्ताक्षर करने में समर्थ हो तो हस्ताक्षर ही होने चाहिए और उसका अंगूठा निशान मान्य न होगा – 1982 इला. 41; किन्तु यदि वह हस्ताक्षर करने में निरक्षरता या अस्वस्थता के कारण असमर्थ हो तो उसका निशान भी हस्ताक्षर माना जाएगा, जैसा कि यहां दिया गया है। मोहर को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता।

24. **खण्ड (42-ख) – परिनियत संलेख** :– इससे तात्पर्य प्रत्यायोजित(delegated)या अधीनस्थ(subordinate) विधायन से है। सामान्यतः "संलेख" (instrument) शब्द का प्रयोग पक्षकारों द्वारा लिखे जाने वाले

दस्तावेजों के लिए होता है। किन्तु हां उसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया गया है।

25. खण्ड (44-क) – अस्थायी अधिनियम :– यह पद ऐसे अधिनियम के लिए प्रयोग में आता है जिस में दिया हो कि वह अमुक अवधि पर्यन्त प्रवर्तन में रहेगा अथवा अमुक समय वह प्रवर्तन में नहीं रह जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम, 1947। अस्थायी अधिनियम के प्रभाव के लिए आगे धारा 6-क व 6-ख देखिए।

26. खण्ड 48 – विल :– "वसीयत" शब्द का प्रयोग testament के लिए होने के कारण will शब्द हिन्दी में अपना लिया गया है। उसके लिए दो बातें आवश्यक है :– (i) वह विलकर्ता की मृत्यु पर प्रभावी होती है, उसके जीवनकाल में नहीं; तथा (ii) उसके द्वारा सम्पत्ति का व्ययन होता है, अर्थात् सम्पत्ति व्यय या अन्तरित करने की व्यवस्था की जाती है। अन्य व्यवस्थाएं करने वाली वसीयती दस्तावेज इस परिभाषा में न आएगी।

इस परिभाषा में केवल लेखबद्ध विल का उल्लेख है। किन्तु यह स्वतःपूर्ण नहीं है। अतः जहां विधि मौखिक वसीयत की अनुमति देती है वहां वह भी विल समझी जाएगी।

27. खण्ड (49) लेखन :– इस शब्द का अर्थ यहां बहुत व्यापक कर दिया गया है। किन्तु वह "दस्तावेज" की भांति व्यापक नहीं है। उदाहरणार्थ, टेप रेकर्ड दस्तावेज तो होगा ; किन्तु लेखन नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें शब्दों का दृश्य रूप में रूपण नहीं होता – श्रीमती वीरवती बनाम गुलाब सिंह – 1956 पंजाब 178।

28. खण्ड (53) – जिला न्यायाधीश आदि :– अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश और अपर मुंसिफ को क्रमशः जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, मुंसिफ उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में माना जाएगा जो उन्हें इस खण्ड में दिए अनुसार अन्तरित किए गए हों।

4-क– व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पद :– प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में जब कोई शब्द परिभाषित हो तो–

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के तदनुरूप अर्थ होंगे।

व्याख्या

इस धारा में परिभाषा विषयक दो नियम बताए गए हैं। पहला तो निर्वचन का बहुप्रचलित सामान्य सिद्धान्त है कि परिभाषा वाला अर्थ तभी लिया जाएगा जब कि संदर्भ से भिन्न अर्थ प्रकट न हो। दूसरा यह कि परिभाषा परिभाषित शब्द को ही नहीं अपितु व्याकरण के अनुसार उससे बनने वाले अन्य रूपों को भी लागू होगी, जैसे, क्रिया की दशा में उसके विविध काल वाले रूप अथवा उससे बनने वाले कृदन्त। अब उत्तर प्रदेश अधिनियमों के परिभाषा खण्ड में ये बातें जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई।

4-A. Grammatical variations and cognate expressions.–In every Uttar Pradesh Act, when a word is defined—

(a) the definition shall apply unless the context of the Act otherwise requires;

(b) grammatical variations of that word and cognate expressions shall have corresponding meanings.

अर्थान्वयन के साधारण नियम

5- (1) अधिनियमितियों का प्रवर्तन में आना :- जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त न हो, वहां,

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनाए गए किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम की दशा में, यदि वह विधान मण्डल द्वारा बनाया गया अधिनियम हो, वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जब उस पर स्थिति की अपेक्षानुसार गवर्नर, गवर्नर जनरल या हिज मैजेस्टी की अनुमति सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित की जाए और यदि वह गवर्नर द्वारा बनाया गया अधिनियम हो तो वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जब वह अधिनियम के रूप में सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित किया जाए;

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम की दशा में, वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जब उस पर, स्थिति की अपेक्षानुसार, राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित की जाए।

(2) जब तक कि तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त न हो, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपने प्रारम्भ के पूर्ववर्ती दिन का अवसान होते ही प्रवर्तन में आ गया है।

व्याख्या

1. उपधारा (1)–अधिनियम बनना एक बात है और उसका प्रवर्तन में आना, या प्रभावी होना, दूसरी बात है। कोई अधिनियम कब से प्रवृत्त होगा या प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, यह स्वयं उस अधिनियम में दिया जा सकता है। यह भी किया जा सकता है कि अधिनियम के प्रवर्तन में आने का दिन बाद में अधिसूचित करने की शक्ति किसी प्राधिकारी (सामान्यतः सम्बन्धित सरकार) को उस अधिनियम द्वारा प्रदान कर दी जाए। जब अधिनियम इस विषय में मौन हो, अर्थात् न प्रवर्तन का दिन नियत करे और न नियत करने की शक्ति प्रदान करे,

---

GENERAL RULES OF CONSTRUCTION

5. Coming into operation of enactments.-(1) Where any Uttar Pradesh Act is not expressed to come into operation on a particular day, then—

(a) in the case of an Uttar Pradesh Act made before the commencement of the Constitution it shall come into operation, if it is an Act of the Legislature, on the day on which the assent thereto of the Governor, the Governor-General or His Majesty, as the case may require, is first published in the official Gazette, and, if it is an Act of the Governor, on the day on which it is first published as an Act in the official Gazette;

(b) in the case of an Uttar Pradesh Act made after the commencement of the Constitution, it shall come into operation on the day on which the assent thereto of the Governor or the President, as the case may require, is first published in the official Gazette.

(2) Unless the contrary is expressed, an Uttar Pradesh Act shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement.

तो यह धारा लागू होगी और अधिनियम उस दिन प्रवृत्त होगा जब उस पर, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित हो – **उप वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सा सुकराज धीरजी** – 1968 सु.को. 67। यह तारीख प्रकाशित अधिनियम में शीर्षक के नीचे दाईं ओर दी रहती है। किन्तु यदि अधिनियम के प्रवृत्त होने का दिन उसी में नियत हो या उसकी व्यवस्थानुसार अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए तो अधिनियम अनुमति के प्रकाशन के दिन से नहीं, बल्कि उस नियत दिन से प्रवृत्त होगा – **सरजू बनाम राज्य** – 1964 इला. 6।

यह ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अधिनियम अनुमति मिलने के दिन से प्रवृत्त होता है; किन्तु इस धारा के अनुसार वह उस दिन से प्रवृत्त होता है जब अनुमति गजट में प्रकाशित हो। जब अनुमति मिलने व उसके प्रकाशन के दिन में अन्तर हो तो अधिनियम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, न कि अनुमति की तारीख से — **हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** — 1973 सु.को. 2226।

यदि विधान मण्डल दिन नियत करने की शक्ति सरकार को प्रदान कर देता है तो बाद में विधान मंडल को उस विषय में शक्ति न रह जाने पर भी सरकार अधिसूचना निकाल कर तारीख नियत कर सकती है — **ईश्वरदास मेहरोत्रा बनाम भारत संघ** — 1972 सु.को. 1193।

यदि किसी प्रवर्तनशील अधिनियम का किसी क्षेत्र पर बाद में विस्तार किया जाए तो उस क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिनियम तभी प्रारम्भ हुआ माना जाएगा जब उसका उस क्षेत्र पर विस्तार हो – **के. मानिकचन्द बनाम इलियास सलेह मोहम्मद संत** – 1969 सु.को. 751।

इस धारा के अनुसार प्रवर्तन के लिए प्रकाशन आवश्यक है। किन्तु प्रवर्तन की तारीख अन्यथा नियत किए जाने पर इस धारा के अनुसार प्रकाशन आवश्यक न होगा। अन्यत्र भी विधि में उस बाबत व्यवस्था नहीं है। किन्तु नैसर्गिक न्याय का तकाजा यही है कि कोई कानून प्रकाशन के बिना आबद्धकर न हो, देखिए – **हरला बनाम राजस्थान राज्य** – 1951 सु.को. 467।

2. **उपधारा (2)** – धारा 4 (11-ग) में बताया जा चुका है कि "दिन" से तात्पर्य अर्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घण्टों की अवधि से है। उपधारा (2) ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अधिनियम नियत दिन के पूर्वगामी दिन के समाप्त होते ही, अर्थात् अर्धरात्रि से ही प्रवृत्त हो गया माना जाएगा। यह तर्क मान्य न होगा कि अनुमति तो दिन में अमुक समय मिली और वह अमुक समय गजट में छपी – **एस. एस. गैडगिल बनाम लाल ऐण्ड कं.** – 1965 सु.को. 171। यह स्मरणीय है कि समय कभी थमता नहीं है, अतः दो दिनों के बीच कोई संधिकाल नहीं होता। अर्धरात्रि के समय पहले दिन के अवसान से ही दूसरा दिन प्रारम्भ हो जाता है।

6– निरसन का प्रभाव :– जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम अब तक बनाई गई या एतत्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी अधिनियमिति को निरसित कर देता है तो, जब तक कोई भिन्न आशय न प्रतीत हो, वह निरसन–

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को

---

6. Effect of repeal.–Where any Uttar Pradesh Act repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal

पुनर्जीवित नहीं करेगा; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर या तदधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; अथवा

(ङ) निरसन करने वाले अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व, किसी यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में, प्रारम्भ हुए किसी उपचार या अन्वेषण या विधिक कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और ऐसा कोई उपचार इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसे किसी अन्वेषण या विधिक कार्यवाही को इस प्रकार जारी रखा तथा समाप्त किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

व्याख्या

1. **सामान्य** :– यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 वाली व्यवस्था को उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसन के संदर्भ में आवृत्ति करती है। उसमें जो प्रभाव केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसन का बताया गया है वही यहां उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसन का बताया गया है। निरसन उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा होना चाहिए, किन्तु निरसित अधिनियमिति कोई भी हो सकती है। यह धारा तब तो लागू होगी ही जब निरसन स्पष्ट शब्दों द्वारा किया जाए, अपितु तब भी लागू होगी जब निरसन विवक्षित (implied) रूप से हो – **उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. तुलोच ऐण्ड कं.** – 1964 सु को. 1284। जब निरसन सम्पूर्ण न होकर आंशिक हो

---

takes effect; or

(b) affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy, or any investigation or legal proceeding commenced before the repealing Act shall have come into operation in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such remedy may be enforced and any such investigation or legal proceeding may be continued and concluded, and any such penalty, forfeiture or punishment imposed as if the repealing Act had not been passed.

तब भी यह धारा लागू होगी – **ओ. एकम्बरप्पा बनाम अतिरिक्त लाभ कर अधिकारी** – 1967 सु.को. 1541 । अस्थायी अधिनियम का अवसान न होने देकर यदि उसे निरसित किया जाए तो उसे भी यह धारा लागू होगी – **पंजाब राज्य बनाम मोहरसिंह प्रतापसिंह** – 1955 सु.को. 84 । जब निरसन करने के साथ-साथ पुनः अधिनियमन किया जाए तब भी सामान्यतः यह धारा लागू होगी – **जयन्ती लाल बनाम भारत संघ** – 1971 सु.को. 1193; **इन्दिरा मोहन लाल बनाम निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक** – 1956 सु.को. 77; **लखन चन्द्र बनाम दुलाल चन्द्र** – 1980 गौहाटी 3 । पुराने अधिकार बने रहने की उपधारणा होगी तथा देखना यह होगा कि क्या वे नई विधि द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं । यदि निरसन और पुनरधिनियमन का कार्य संशोधन अधिनियम द्वारा होता है तब भी यह धारा प्रयुक्त होगी । किन्तु प्रक्रिया में किसी का निहित अधिकार नहीं होता । अतः प्रक्रिया विषयक विधि के निरसन के सम्बन्ध में सामान्यतः यह धारा लागू न होगी – **पी. एस. बालसुब्रह्मण्य बनाम भारत संघ** – 1975 दिल्ली 258 ।

यह धारा तभी लागू होती है जब अन्य आशय प्रतीत न हो । अतः जब निरसनकारी या संशोधनकारी विधि से अन्यथा आशय प्रकट हो तो यह धारा लागू न होगी । जब स्वयं निरसनकारी विधि में निरसन का प्रभाव स्वतःपूर्ण ढंग से बता दिया गया हो तो सामान्यतः यह धारा लागू न समझी जाएगी – **कलावती देवी बनाम आय कर आयुक्त** – 1968 सु.को. 162 । किन्तु यदि निरसनकारी विधि की तद्विषयक व्यवस्था स्वतःपूर्ण न हो तब यह बात न होगी – **तिवारी कन्हैया लाल बनाम आय कर आयुक्त** — 1975 सु.को. 902 (1975) 3 उम.नि.प. 564 ।

2. **खण्ड (क)** :— किसी विधि के निरसन से वह विधि पुनः जीवित नहीं हो जाएगी जिसे उस विधि ने पहले निरसित किया हो । पुनः जीवित करने के सम्बन्ध में आगे धारा 7 देखिए ।

3. **खण्ड (ख)** :— निरसन के पूर्व उस विधि के अधीन जो बात की जा चुकी है वह दुष्प्रभावित न होगी । "की गई बात" में उसका विधिक प्रभाव भी आता है – **हसन नूरानी मलक बनाम एस.एम. इस्माइल** — 1967 सु.को. 1742 । संविधान के अनुच्छेद 357(2) में ऐसी ही व्यवस्था के निर्वचन के लिए देखिए — **राम प्रसाद बनाम पंजाब राज्य** — 1966 सु.को. 1607 ।

4. **खण्ड (ग)** — निरसित विधि के अधीन जो अधिकार या दायित्व उत्पन्न हो चुका हो वह निरसन के बाद भी बना रहेगा तथा कार्यान्वित किया जा सकेगा । अतः आय कर अधिनियम, 1921 के अधीन हानि के अग्रनयन एवं समायोजन का अधिकार उसके निरसन के बाद भी बना रहा माना गया — **आय कर आयुक्त बनाम शाह सादिक ऐण्ड संस** — 1987 सु.को. 1217 : 1987 उम.नि.सा. 346 । उद्भूत अधिकार माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अस्तित्व में आ गया हो — **हीरा लाल बनाम नवीन दास** — 1966 सु.को. 367 व **ईश्वरी लाल बनाम मोती भाई** — 1966 सु.को. 459 । यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार घोषित करा लिया गया हो — **सखा राम बनाम मानिक चन्द** — 1963 सु.को. 354 । किन्तु वह कानून का फायदा उठाने का अधिकार मात्र नहीं होना चाहिए — **जोहराबी बनाम अर्जुन** — 1980 सु.को. 101 । यदि अधिकार निरसन के पूर्व उत्पन्न नहीं हो गया है तो यह धारा लागू न होगी — **हंगरफोर्ड आदि बनाम हरिदास मुंदड़ा** — 1972 सु.को. 1826 : (1972) 2 उम.नि.प. 675 । केवल आशा को अधिकार नहीं माना जा सकता — **एम. एस. शिवानन्द बनाम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम** — 1980 सु.को. 77 : (1980)3 उम.नि.प. 890 । संरक्षण मात्र अधिकार नहीं होता — **कुदरत उल्ला बनाम बरेली नगरपालिका** — 1974 सु.को. 396 । नोटिस देकर खरीदने के अधिकार को प्रोद्भूत अधिकार माना गया — **गुजरात विद्युत् बोर्ड बनाम शान्ति लाल** — 1969 सु.को. 239 । इसी प्रकार से अधिकतम प्रतिकर पाने वाले का सम्पत्ति खरीदने का अधिकार प्रोद्भूत माना गया — **संयुक्त सचिव बनाम खिलू राम** — 1975

सु.को. 2275 (1976)3 उम.नि.प. 641। विवाह-विच्छेद का अधिकार भी ऐसा ही माना गया – **गोपाल कृष्ण नायर बनाम आर. सरसम्मा** – 1980 केरल 109। विशिष्ट वाद लाने के अधिकार की भी स्थिति यही मानी गई – **चूलू राय बनाम भगत राम** – 1980 म.प्र. 16। दूसरी ओर पूरे मूल्य पर बीमा कराने का दायित्व "उपगत दायित्व" माना गया – **अमदल बलसा आदि बनाम भारत संघ** – 1976 सु.को. 958।

5. **खण्ड (घ)** :–यदि कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन दण्ड या शास्ति का भागी हो जाता है तो उस विधि के निरसन के बाद भी उस पर उस दण्ड या शास्ति का अधिरोपण किया जा सकता है। अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य विषयक विधि भी उसके सम्बन्ध में बनी रही मानी जाएगी – **जी.पी. नैयर बनाम राज्य** – 1979 सु.को 602।

6-क–अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय :– किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर जिसको वह अवसित हो, प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

6-ख–अवसान का प्रभाव :– जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाए वहां उस पर धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किए जाने पर लागू होते हैं।

व्याख्या

"अस्थायी अधिनियम" की परिभाषा के लिए धारा 4(44-क) देखिए। सामान्य विधि में अस्थायी अधिनियम के अवसान का प्रभाव धारा 6 में दिए गए निरसन से भिन्न होता है। ऐसे अवसान को धारा 6 स्वतः लागू नहीं होती और अवसित हो जाने पर वह निष्प्रभाव हो जाता है तथा उसके विरुद्ध अपराध का अभियोजन अवसान के बाद प्रारम्भ नहीं किया जा सकता – **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चुगमंदर दास** – 1954 सु.को. 683; **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य** – 1970 सु.को. 654। किसी भी दशा में स्वयं उस अधिनियम के उपबन्धों की ओर ध्यान देना होगा। किन्तु इस धारा ने अस्थायी अधिनियम के अवसान को भी निरसन वाली विधि लागू करके स्थिति परिवर्तित कर दी है तथा अनेक समस्याएं सुलझा दी हैं। यह स्मरणीय है कि यह धारा केवल उत्तर प्रदेश अधिनियम के अवसान को लागू होगी, किसी अन्य विधि के अवसान को नहीं।

6-ग–(1) अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली धारा का निरसन या अवसान :– उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तःस्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या

6-A. Time of expiration of temporary Acts.–A temporary Uttar Pradesh Act shall be construed as ceasing to operate immediately at the end of the day on which it expires.

6-B Effect of expiration.–Where a temporary Uttar Pradesh Act expires, the provisions of Sections 6 and 24 shall apply to it as they apply to the repeal of an enactment by an Uttar Pradesh Act.

6-C. Repeal or expiration of law making textual amendments in other laws.–(1) Except as provided by sub-section (2), where any Uttar Pradesh Act amends the text of any Uttar Pradesh Act or Regulation by the express omission, insertion or

विनियम का पाठ संशोधित करता है, और तत्पश्चात् संशोधक अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के, जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करके बनाई गई किसी विधि द्वारा किया जाए, और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या अन्य विधि (परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुनः अधिनियमित हुए बिना प्रवर्तन में न रह जाए, वहां तद्-द्वारा पाठ में किया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जाएगा।

व्याख्या

उपधारा (1) वे वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6-क में है। संशोधन अधिनियम में दिए गए संशोधन उस अधिनियम के प्रवृत्त होते ही मूल अधिनियम में लग जाते हैं और मूल अधिनियम ही तदनुसार संशोधित हो जाता है तथा फिर संशोधन अधिनियम द्वारा किए जाने के लिए कुछ नहीं बचता; अतः संशोधन अधिनियम के निरसन से मूल अधिनियम में लगे संशोधन अप्रभावित रहते हैं। इसी कारण प्रायः निरसन और संशोधन अधिनियम पारित करके संशोधन अधिनियमों को निरसित कर दिया जाता है। किन्तु जब संशोधन किसी अस्थायी अधिनियम द्वारा किया जाता है और वह संशोधन अधिनियम प्रवृत्त नहीं रह जाता तो वह संशोधन भी समाप्त हो जाता है क्योंकि संशोधन मूलतः ही अस्थायी था। यही बात उपधारा (2) में स्पष्ट की गई है। हां, यदि अस्थायी अधिनियम की व्यवस्था को पुनः अधिनियमित कर दिया जाता है तो वह संशोधन बना रहेगा।

7– निरसित अधिनियमितियों का पुनर्जीवित होना :– किसी पूर्णतः या अंशतः निरसित अधिनियमिति को पूर्णतः या अंशतः पुनर्जीवित करने के प्रयोजन के लिए किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में उस प्रयोजन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर देना आवश्यक होगा।

---

substitution of any matter, and the amending enactment is subsequently repealed, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal.

(2) Where any such amendment of text is made by any temporary Uttar Pradesh Act or by an Ordinance or by any law made in exercise of the power of the State Legislature by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of Article 357 of the Constitution, and such Act, Ordinance or other law ceases to operate without being re-enacted (with or without modifications) the amendment of text made thereby shall also cease to operate.

7. Revival of repealed enactments.–In any Uttar Pradesh Act it shall be necessary, for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment wholly or partially repealed, expressly to state that purpose.

व्याख्या

धारा 6(क) में इस आशय की व्यवस्था की गई है कि किसी अधिनियमिति के निरसन से वह अधिनियमिति पुनः जीवित नहीं हो जाती जो उस निरसित होने वाली विधि से पहले निरसित की हो। इस धारा के अनुसार उस पूर्व निरसित विधि को पुनः जीवित करने के लिए यह स्पष्ट विधान करना होगा कि वह पुनः जीवित की जाती है। उससे वह विधि पुनः प्रवर्तन में आ जाएगी तथा पूरी विधि का पुनः अधिनियमन आवश्यक न होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस धारा की व्यवस्था निरसित विधि के लिए ही है, अवसित (expired) विधि के सम्बन्ध में नहीं – **बलदेव सिंह बनाम राज्य** – 1951 मध्य भारत 149। तुल्य विधि के लिए केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 7 देखिए।

8- **निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन** :– (1) जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम पूर्ववर्ती अधिनियमिति के किसी उपबन्ध को निरसित और, परिष्कार सहित या रहित, पुनः अधिनियमित करता है वहां, जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, इस प्रकार निरसित उपबन्ध के प्रति किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत में के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्ध के प्रति निर्देश है।

(2) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति के पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस अधिनियमिति के नए संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।

व्याख्या

इस धारा में राज्य विधि के सम्बन्ध में वैसी ही व्यवस्था की गई है जैसी कि केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 8 में केन्द्रीय विधि के सम्बन्ध में है। यहां उपधारा (2) अतिरिक्त है तथा उपधारा (1) की अनुपूरक मात्र है। इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त यह है कि जब कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी अधिनियमिति को निरसित करके उसे (संशोधनों के सहित या बिना) पुनः अधिनियमित कर दे तो उस निरसित विधि के अन्य विधियों में उल्लेखों को पुनः अधिनियमित विधि के प्रति निर्देश पढ़ा जाएगा। अर्थात् निर्देश पुराने अधिनियम के स्थान पर नए अधिनियम के प्रति समझा जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई अधिनियम संशोधित होता है तो निर्देश संशोधित उपबन्धों के प्रति समझा जाएगा। यदि निर्दिष्ट विधि केवल निरसित होती है, पुनः अधिनियमित नहीं, तो यह हो सकता है कि उस निर्देश को निर्देशकारी अधिनियम में सम्मिलित किया माना जाए और उस दशा में उस विधि के

---

8 Construction of references to repealed enactments.-(1) Where any Uttar Pradesh Act repeals and re-enacts, with or without modification, any provision of a former enactment, then references in any other enactment or in any instrument to the provisions so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the provision so re-enacted.

(2) Where the short title of any enactment is amended by an Uttar Pradesh Act, then, references to that enactment by its old short title in any other enactment shall be construed as references to that enactment by its new short title.

निरसन के बाद भी वह निर्देशकारी अधिनियम के संदर्भ में बनी रही मानी जाएगी जैसे कि वह उस का भाग हो गई हो – **राम सरूप बनाम मुंशी**–1963 सु.को. 453 । किन्तु यहां प्रश्न निरसन और पुनः अधिनियमन या संशोधन का है । ऐसी दशा में यदि निर्देश केवल निर्देश हो और उस अन्य विधि के उपबन्धों को निर्देशकारी विधि में सम्मिलित करने का प्रभाव न रखता हो तो यह धारा लागू होगी और निर्देश संशोधित या नई विधि के प्रति माना जाएगा । इस प्रकार जब मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में कहा गया कि उसके अधीन प्राधिकारी को नगरपालिका अधिनियम वाली शक्तियां प्राप्त होंगी तो नगरपालिका अधिनियमों के बाद के सुसंगत संशोधन भी उसे लागू माने गए – **वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. बनाम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** – (1982)3 उम नि.प. 655 : 1982 उम.नि.मा. 18 : 1982 सु.को. 697 । इसी प्रकार से एक अधिनियम में "स्वीय विधि के अधीन रहते हुए" की गई उत्तराधिकार की व्यवस्था के संदर्भ में स्वीय विधि में बाद में किए गए संशोधन भी लागू माने गए – **बज्या बनाम श्रीमती गोपिका बाई** — (1979) 2 उम.नि.प. 266 : 1978 सु.को. 793 । और भी देखिए – **न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स क. लि. बनाम सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क** – (1976) 1 उम.नि.प. 1107 : 1971 सु.को. 454 व **राम किरपाल भगत बनाम बिहार राज्य** — (1974) 3 उम.नि.प. 619 : 1970 सु.को. 951 ।

जहां यह माना जाता है कि अन्य अधिनियम के उपबन्ध निर्देशकारी अधिनियम में सम्मिलित कर लिए गए है, अर्थात् उसके भाग बना दिए गए है तो निर्दिष्ट विधि में संशोधन या उसके निरसन का निर्देश पर कोई प्रभाव न होगा और पहले वाली विधि लागू बनी रहेगी । इस प्रकार जब एक अधिनियम में कहा गया कि उसके अधीन आदेशों से अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में गिनाए गए आधारों पर हो सकेगी तो बाद में धारा 100 के संशोधन का निर्देशकारी विधि के संदर्भ में प्रभाव नहीं माना गया और पुराने आधारों पर अपील ग्राह्य मानी गई – **महिन्द्रा ऐण्ड महिन्द्रा लि. बनाम भारत संघ** – (1980) 1 उम.नि.प. 501 : 1979 सु.को.789 । यह परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाएगा कि निर्दिष्ट विधि को निर्देशकारी विधि का अंग बनाया गया है या नहीं ।

किन्तु सम्मिलित न करने के इस सिद्धांत के भी अपने अपवाद है । **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम.वी. नरसिम्हन** – (1975)4 उम नि.प. 523 : 1975 सु.को. 1835 में वे इस प्रकार बताए गए :–

(क) जब निर्देशकारी और निर्दिष्ट अधिनियम एक दूसरे के अनुपूरक हों ।

(ख) जब दोनों अधिनियम समान विषय पर हों ।

(ग) जब निर्दिष्ट विधि के संशोधन को निर्देशकारी विधि के संदर्भ में लागू न करने से निर्देशकारी अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा आएगी ।

(घ) जब निर्दिष्ट विधि का संशोधन निर्देशकारी विधि को स्पष्ट या विवक्षित तौर पर लागू किया गया है ।

उक्त निर्णय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को भारतीय दण्ड संहिता का अनुपूरक मानकर संहिता की धारा 21 वाली "लोक सेवक" की संशोधित परिभाषा प्रथमोक्त अधिनियम को लागू मानी गई ।

इस धारा की व्यवस्था भिन्न आशय प्रकट न होने की स्थिति के लिए ही है । अतः भिन्न आशय प्रकट होने पर यह लागू न होगी । आशय की चर्चा के लिए देखिए – **बोलानी ओर्स लि. बनाम उड़ीसा राज्य** – (1975) 1 उम.नि.प. 786 : 1975 सु.को. 17 ।

9– समय का प्रारम्भ और पर्यवसान :– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी दिना-

---

9. Commencement and termination of time.–In any Uttar Pradesh Act,

घटि या समय की किसी अन्य कालावधि के प्रथम दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए "से" शब्द का उपयोग तथा किसी दिनावलि या समय की किसी अन्य कालावधि के अन्तिम दिन को सम्मिलित करने के लिए "तक" शब्द का उपयोग करना पर्याप्त होगा।

व्याख्या

इस धारा की व्यवस्था वैसी ही है जैसी कि केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 9 में की गई है। किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में समय की गणना में जिस दिन के लिए "से" शब्द का प्रयोग किया जाए वह गणना से छोड़ दिया जाएगा; तथा जिस दिन के लिए "तक" शब्द का प्रयोग किया जाए वह शामिल कर लिया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कहा जाए कि "5 तारीख से 20 दिन तक" तो 5 को छोड़कर बीस दिन की गणना 6 से की जाएगी और 25 का पूरा दिन शामिल किया जाएगा। तीन मास के निरोध की अवधि की गणना में गिरफ्तारी का दिन छोड़ दिया जाएगा – **हाक दास गुप्ता बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य** – (1972) 2 उम.नि.प. 475 : 1972 सु.को. 1293। जब कहा जाए कि अमुक दिन के 14 दिन बाद नहीं तो बताए गए दिन को छोड़कर चौदह पूरे दिन गिने जाएंगे – **हरिन्दर सिंह बनाम कर्नल सिंह** – 1957 सु.को. 271। अथवा जब कहा जाए कि अमुक दिन से तीस दिन पूर्व नहीं तो उस दिन को छोड़कर पूरे तीस दिन गिने जाएंगे और तीसवां दिन पूरा शामिल किया जाएगा – **जब चरण लाल अमल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1968 सु.को. 5।

यदि न्यायालय 15 दिन का समय दे तो आदेश का दिन 15 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा। जब कहा जाए कि कम से कम एक मास का नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस मिलने की तारीख छोड़कर पूरे तीस दिन गिने जाएंगे और उसके बाद ही कार्य किया जा सकेगा – **पायनियर मोटर्स प्रा. लि. बनाम म्यूनिसिपल काउंसिल** – 1967 सु.को. 684। जब कहा जाए – "नोटिस की प्राप्ति से छह सप्ताह" तो प्राप्ति का दिन गणना में नहीं लिया जाएगा – **श्रीमती ई.पी. जानुअम्मा बनाम राजस्व खण्ड अधिकारी** – 1980 केरल 175। इसी प्रकार किराएदारी की समाप्ति के तीस दिन के नोटिस की गणना में नोटिस मिलने का दिन छोड़कर पूरे तीस दिन गिने जाएंगे – **शिव नारायण बनाम चन्द्रिका प्रसाद** – 1973 इला. 155।

गणना का यह सिद्धान्त निर्वाचन अर्जियों तक को लागू किया गया है – **के. वेंकटेश्वर राव बनाम केक्कम नरसिम्हा रेड्डी** – (1969)1 उम.नि.प. 304 : 1969 सु.को. 872। **राम नन्दन सिंह बनाम रामाधार सिंह** – 1966 पटना 297।

10– **समय की संगणना** :– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी कार्य या कार्यवाही का किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिनांक को या किसी विहित कालावधि के भीतर किया जाना निर्दिष्ट या अनुज्ञात हो वहां, यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन

---

it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time, to use the word "from" and for the purpose of including the last in a series of days or any other period of time, to use the word "to".

10. Computation of time.–Where, by any Uttar Pradesh Act any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a

या उस विहित कालावधि के अन्तिम दिन बन्द हो, तो यदि वह कार्य या कार्यवाही उस निकट आगामी दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुले, की जाती है तो वह सम्यक् समय में की गई मानी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू न होगी जिस पर इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877 लागू हो।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 10 की अनुकारी है। इसी प्रकार की व्यवस्था परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में है। अतः जहाँ वह अधिनियम लागू होता है वहाँ यह धारा लागू न होगी। इस धारा में उल्लेख इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877 का है। किन्तु धारा 8 की व्यवस्थानुसार वह इस समय प्रवृत्त परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रति निर्देश समझा जाएगा। जब किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अनुसार कार्य किसी विशिष्ट दिन किया जाना हो और उस दिन वह न्यायालय या कार्यालय जहाँ वह कार्य करना है बन्द हो तो वह उसके पश्चात् के पहले कार्य दिवस को किया जा सकता है और वह कार्य यथासमय किया गया माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि विहित अवधि का अवसान ऐसे दिन हो जब न्यायालय या कार्यालय बन्द हो तो वह उसके प्रथम कार्य दिवस को किया जा सकता है – **हरिन्दर सिंह बनाम कर्नैल सिंह** – 1957 सु.को. 271। यह धारा तभी लागू होगी जब वह न्यायालय या कार्यालय कार्य किए जाने के विशिष्ट दिन या उसकी अवधि के अंतिम दिन बन्द हो। यदि न्यायाधीश नहीं बैठते हैं, किन्तु कार्य किए जाने के लिए उसका कार्यालय खुला है तो इस धारा का लाभ न मिलेगा – **हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्र** – (1974)1 उम.नि.प. 1533 : 1974 सु.को. 480। केरल उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मावकाश में कुछ कार्य किए जाने की व्यवस्था होते हुए भी न्यायालय को बन्द माना – **डा. के.के. मोहम्मद कोया बनाम पी. एम. सईद** – 1977 केरल 160। जब उच्च न्यायालय सिविल कार्यवाहियों के लिए बन्द था किन्तु निर्वाचन अर्जियों के लिए बन्द नहीं था तो ऐसी अर्जी के सन्दर्भ में वह बन्द नहीं माना गया – **पी. नारायणप्पा बनाम ए. शंकर अलवा** – 1973 मैसूर 78। यदि न्यायालय विधितः बन्द हो तो वहाँ कुछ कार्य होते रहने के आधार पर वह खुला न मान लिया जाएगा – **स. गुरमेज सिंह हीरा सिंह बनाम निर्वाचन अधिकरण** – 1964 सु.को. 337। इसका सिद्धान्त न्यायपूर्ण मानकर उसे अन्यत्र भी लागू किया है, उदाहरणार्थ देखिए – **सी.एल. आम्दी बनाम वाई.एस. हिरण्यया** – 1972 सु.को. 239, जिसमें प्रश्न डिक्री के अनुसार राशि जमा करने का था। किन्तु गुजरात उच्च न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(2)(ख)(ii) के मामले में इसे लागू नहीं माना। कहा गया कि वहाँ कार्य करने के लिए किसी अवधि का विधान न होकर अर्जी ग्रहण करने की शर्त का विधान है – **मालेकराम सेवाराम बनाम श्रीमती द्रौपदी बेन** – 1974 गुज. 111।

---

certain day or within a prescribed period, then, if the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open :

Provided that nothing in this section shall apply to any act or proceeding to which the Indian Limitation Act, 1877 applies.

10-क– पार्श्व-टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना :– उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व-टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमिति की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिए रखे गए हैं और वे अधिनियम का भाग नहीं होंगे।

व्याख्या

अंग्रेजी विधि में पार्श्व-टिप्पणियां या पार्श्व शीर्षक अधिनियम के भाग नहीं माने जाते थे और निर्वचन में उनसे सहायता नहीं ली जा सकती थी। भारत में इस विषय में बहुत विवाद रहा है। न्यायमूर्ति पातञ्जलि शास्त्री ने **आय कर आयुक्त बनाम अहमद इमरभाई ऐण्ड कं.** – 1950 सु.को. 134(141) में कहा कि वे अधिनियम के भाग नहीं होते और उनसे निर्वचन में सहायता नहीं ली जा सकती। इसका अनुसरण **मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाम राजाकिशन** – (1979) 4 उम नि प. 54 : 1979 सु.को. 289 में किया गया। दूसरी ओर **फिल्म एक्जिबिटर्स लिमि बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य** – 1987 आन्ध्र प्रदेश 110 (पूर्ण न्यायपीठ) में कहा गया कि अब यह सुप्रतिष्ठित है कि पार्श्व शीर्षक धारा का भाग होता है। और **श्री सज्जन मिल्स लि. बनाम आय कर आयुक्त** – 1986 सु.को. 484 में निर्वचन करने में पार्श्व शीर्षक का निस्संकोच उपयोग किया गया। वैसे यह सुप्रतिष्ठित है कि पार्श्व शीर्षक धारा के स्पष्ट अर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकता – **एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ** – 1982 उम.नि.सा. 89 : (1982) 3 उम.नि.प. 365 : 1982 सु.को. 149। किन्तु इस धारा ने उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में सारा विवाद यह कहकर समाप्त कर दिया कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिए हैं तथा अधिनियम के भाग नहीं हैं। ऐसी दशा में इन पार्श्व शीर्षकों का उपयोग निर्वचन में नहीं होना चाहिए। वैसे यह उल्लेखनीय है कि पार्श्व शीर्षक विधेयक में भी दिए रहते हैं तथा यह कहा जा सकता है कि विधायक उन्हें भी पढ़कर विधेयक पास करते हैं। विनम्र निवेदन है कि निर्वचन में उनका उपयोग करें किन्तु उनसे धारा का अर्थ नियंत्रित न करने का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक लगता है।

10-ख– निगमन का प्रभाव :– जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहाँ उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह, चाहे जंगम या स्थावर, सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

10-A. Marginal notes not part of Act.–Marginal notes to any provisions of an Uttar Pradesh Act and the references to the number and year of any former enactment against any such provision shall be deemed to have been inserted for convenience of reference only and shall not form part of the Act.

10-B. Effect of incorporation.–Where any Uttar Pradesh Act constitutes a body corporate by any form of words, that body corporate shall have perpetual succession and a common seal and may enter into contract by its corporate name, acquire, hold and dispose of property, whether movable or immovable, and sue or be sued by its corporate name.

व्याख्या

जब विधि किसी व्यक्ति या संस्था को नियम बनाती है तो उसे एक कृत्रिम व्यक्तित्व मिल जाता है और वे सब परिणाम होते हैं जो इस धारा में दिए गए हैं। सामान्यतः नियमित करते समय वे परिणाम भी दोहराने पड़ते हैं। अब इस धारा के बाद वह आवश्यकता न रह जाएगी।

10-ग- **प्रपत्र में रूपभेद** :- जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाए, वहां उसमें किंचित् रूपभेद, जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिए प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनाएगा।

11- **दूरियों की माप** :- किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी दूरी की माप करने में उस दूरी को, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, क्षैतिज समतल पर सरल रेखा में मापा जाएगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 11 का अनुकरण करती है तथा दूरी नापने का बुद्धिसम्मत एवं बहुप्रचलित तरीका अपनाती है। दो बिन्दुओं के बीच की दूरी टेढ़ी-सीधी नाना प्रकार की रेखाएं खींचकर बहुत प्रकार से बताई जा सकती है। किन्तु इसके अनुसार वह समतल भूमि के समानान्तर सीधी रेखा में नापी जाएगी। अतः जब किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में दूरी का उल्लेख आए तो वह इसी प्रकार नापी जानी चाहिए, सिवाय उस दशा के जब संदर्भ से भिन्न अभिप्राय प्रतीत हो।

12- **अधिनियमितियों में शुल्क का आनुपातिक समझा जाना** :- जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या ऐसी ही प्रकृति का कोई शुल्क किसी माल या वाणिज्य के किसी दिए हुए परिमाण पर तोल, माप या मूल्य के अनुसार उद्ग्रहणीय हो, वहां किसी अधिक या न्यून परिमाण पर वैसा ही शुल्क उसी दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 12 का अनुकरण करती है। जब किसी शुल्क के तोल, माप या मूल्य के आधार पर लिए जाने का विधान हो तब दर में जो इकाई की गई हो उसके अंश पर शुल्क अनुपाततः लिया जाएगा। जैसे दस रुपए प्रति क्विंटल की दर दी होने पर आधे क्विंटल पर पांच रुपए आंके जाएंगे।

10-C. Deviations from forms.-Where, by any Uttar Pradesh Act, a form is prescribed, slight deviotions therefrom not affecting the substance or calculated to mislead, shall not invalidate it.

11. Measurement of distances.-In the measurement of any distance, for the purposes of any Uttar Pradesh Act, that distance shall, unless a diff.rent intention appears, be measured in a straight line on a horizontal plane.

12. Duty to be taken pro rata in enactments.-Where, by any Uttar Pradesh Act, any duty of customs or excise, or in the nature thereof, is leviable on any given quantity, by weight, measure or value of any goods or merchandise, then a like duty is leviable according to the same rate on any greater or less quantity.

13– लिंग और वचन :– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हो, समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों में–

(1) यह समझा जाएगा कि पुल्लिंग वाचक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रियां भी हैं; और

(2) एकवचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आएगा और बहुवचन शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आएगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 13 की अनुकारी है। इसमें दो सिद्धान्त दिए गए हैं : एक लिंग विषयक और दूसरा वचन विषयक। प्रथमतः पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का समावेश माना जाएगा। इसी प्रकार का सिद्धान्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 8 में दिया गया है। यह दृष्टव्य है कि संहिता में बराबर यह कहा गया है कि जो अमुक अपराध करेगा उसे इतना दण्ड दिया जाएगा। यदि उक्त सिद्धान्त न होता तो यह बहस की जाती कि स्त्रियां दण्डनीय नहीं होंगी क्योंकि वे अपराध "करता" नहीं है "करती" हैं। हाल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(घ) में प्रयुक्त "his father" में "her father" का समावेश मानकर पुत्री को भी अपने पिता के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया – **श्रीमती विजय मनोहर अरबत बनाम काशीराव राजाराम सवाई** – 1987 उम.नि.सा. 189 : 1987 सु.को. 1100। हिन्दी पाठ के संदर्भ से भी हम कह सकते हैं कि "उपेक्षा करता है" में "उपेक्षा करती है" का भी समावेश है। हां, जब संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत हो तब यह सिद्धान्त लागू न होगा, जैसे कि उत्तराधिकार विषयक विधि में गिनाए गए रिश्तेदारों के सम्बन्ध में।

दूसरा सिद्धान्त एकवचन में बहुवचन के तथा बहुवचन में एकवचन के समावेश का है। इसके अनुसार एकवचन शब्द बहुवचन का तथा बहुवचन शब्द एकवचन का भी द्योतक होगा। इस प्रकार "परिवादी" में "परिवादियों" का समावेश माना गया – **शीतल चंद्र दत्त बनाम बाबूराम** – 1967 इला. 150 और "राज्य" में "राज्यों" का समावेश माना गया – **स. शेर सिंह बनाम रघुपति कपूर** – 1968 पंजाब 217 (पूर्ण न्यायपीठ)। "कार्यों" में अकेले कार्य का समावेश माना गया – **भागवत प्रसाद बनाम पुलिस महानिरीक्षक** – 1970 पंजाब 81 और "मध्यस्थों" में मध्यस्थ का समावेश माना गया – **शाह हंसराज वेलजी बनाम शाह मगन लाल वेलजी** – 1980 बाम्बे 237। "परमिट" में अनेक परमिटों का समावेश माना गया – **धन्ना सिंह बनाम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी** – 1975 म.प्र. 77। "व्यष्टि" में व्यष्टि-समुदाय का समावेश माना गया – **धन कर अधिकारी बनाम सी. के. मम्मद काची** – (1982) 1 उम.नि.प. 1029 : 1981 सु.को. 1269। सिद्धांत अन्यत्र लागू करने के लिए देखिए – **भूपेन्द्र कुमार जैन बनाम बाई. एस. धर्माधिकारी** – 1976 म.प्र. 110।

किन्तु यह सिद्धान्त भी वहां लागू न होगा जहां संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत हो।

---

13. Gender and number.–In all Uttar Pradesh Acts, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(1) words importing the masculine gender shall be taken to include females; and

(2) words in the singular shall include the plural, and vice versa.

शक्तियां और कृत्यकारी

14– प्रदत्त शक्तियों का समय समय पर प्रयोक्तव्य होना :–जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई शक्ति प्रदत्त हो, वहां उस शक्ति का प्रयोग अवसर की अपेक्षानुसार, समय-समय पर, किया जा सकेगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 14 की अनुकारी है। इसको धारा 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब नियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान की जाए तो धारा 21 विशेषतः लागू होगी तथा अन्य मामलों में यह धारा लागू होगी।

सिद्धान्त यह है कि जब किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी को कोई शक्ति प्रदान की जाए तो उस शक्ति का प्रयोग आवश्यकतानुसार समय समय पर किया जा सकता है – **महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण शामराव** – 1983 सु.को. 46 : (1983) 2 उम.नि.प. 372 : 1982 उम.नि.सा. 487। **ईश्वर दास साहनी बनाम दिल्ली प्रशासन** – 1980 दिल्ली 147। इस धारा के लागू होने का अवसर तभी आएगा जब शक्ति वैध रूप से प्रदान की गई हो – **गौरचन्द्र राउत बनाम लोक अभियोजक** – 1963 सु.को. 1198। यदि शक्ति के प्रयोग के लिए कोई शर्तें विहित हों तो उनका भी पालन किया जाना चाहिए; अन्यथा शक्ति का प्रयोग अवैध हो जाएगा – **गौहाटी ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन बनाम असम राज्य** – 1978 गौहाटी 33 (पूर्ण न्यायपीठ)। यह धारा न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प (quasi-judicial) शक्ति के प्रयोग के लिए भी लागू नहीं होगी क्योंकि विधि का यह सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करके किए गए आदेश का पुनर्विलोकन (review) तभी किया जा सकता है जब उसके लिए स्पष्ट विधान हो – **पट्टे वेंकटेश्वर राव बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार** – 1966 सु.को. 828।

यह धारा वहां भी लागू न होगी जहां शक्ति इस प्रकार की होकि एक बार प्रयोग से समाप्त हो जाए या उस शक्ति का प्रयोग करके जो आदेश दिया जाए उसे अन्तिमता प्रदान की गई हो – **मद्रास राज्य बनाम कुन्नाकडी मलामलम** – 1965 सु.को. 1570।

15– नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की शक्ति का होना :–जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, किसी पद को भरने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त हो, वहां, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, ऐसी कोई नियुक्ति या तो नाम से या पदाभिधान से की जा सकेगी।

POWERS AND FUNCTIONARIES

14. Powers conferred to be exercisable from time to time.–Where, by any Uttar Pradesh Act, any power is conferred then that power may be exercised from time to time, as occasion requires.

15. Power to appoint to include power to appoint ex-officio.–Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred then, unless it is otherwise expressly provided, any such appointment may be made either by name or by virtue of office.

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 15 की अनुकारी है। जहां किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है वहां नियुक्ति चाहे तो पदनाम से की जा सकती है (जिसे पदेन नियुक्ति कहते हैं), चाहे व्यक्ति के नाम से की जा सकती है। जब नियुक्ति के लिए कोई अर्हताएं अपेक्षित हों तो पदेन नियुक्ति उसी व्यक्ति के सम्बन्ध में वैध होगी जो उन अर्हताओं से सम्पन्न हो – **न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं.लि. बनाम मुलिया देवी** – 1969 मध्य प्रदेश 190। पदेन नियुक्ति की दशा में पद-उत्तराधिकारी को वह नियुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी, पुनः नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। पदेन नियुक्ति पदनाम से होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि उस पद के सभी धारकों को नियुक्त कर दिया जाए, जैसे सभी विशेष भूमि अर्जन अधिकारियों को भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए कलेक्टर के रूप में नियुक्त करना – **अब्दुल हुसैन सैयद अली बनाम गुजरात राज्य** – 1968 सु.को. 432।

16– **नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना** :– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो वहां, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को जिसे नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसकी पदावधि समाप्त कर सके।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 16 की अनुकारी है; बल्कि यहां यह और स्पष्ट कर दिया गया है कि नियुक्ति की शक्ति रखने वाले व्यक्ति को पदच्युत करने की ही नहीं अपितु हटाने अथवा अन्यथा सेवा समाप्त करने की भी शक्ति प्राप्त होगी। यद्यपि पदच्युत करने से सेवा समाप्त करने का अर्थ भी लिया जा सकता है – **भारत संघ बनाम परमिन्दर सिंह** – 1962 राजस्थान 244; किन्तु प्रायः पदच्युत करने तथा हटाने में दण्ड देने का भाव आता है; अन्यथा सेवा समाप्त करने में वह भाव नहीं आता, जैसे अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं अनावश्यक हो जाने पर उसकी सेवाएं यथाविधि समाप्त कर देना। हटाने आदि की शक्ति के प्रयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी स्वयं हटाने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। वैसे भी यह सामान्य सिद्धान्त है कि सेवा समाप्त करने की शक्ति नियुक्त करने की शक्ति से जुड़ी रहती है – **मे. हेवेट इंजीनियरिंग कं. बनाम कर्मकार** – (1978) 4 उम.नि.प. 309 : 1977 सु.को. 2257। किन्तु जब संदर्भ से विपरीत आशय प्रतीत हो तो यह धारा लागू न होगी – **सैयद शौकत इमाम बनाम बिहार राज्य** – 1969 पटना 347।

इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 311 का भी ध्यान रखना होगा।

---

16. Power to appoint to include power to suspend, dismiss or otherwise terminate the tenure of office.–Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to make any appointment is conferred, then, unless a different intention appears, the authority having for the time being power to make the appointment shall also have the power to suspend, dismiss, remove or otherwise terminate the tenure of office of any person appointed, whether by itself or any other authority, in exercise of that power.

17– **कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन** :– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में, यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि कोई विधि किसी पद के कृत्यों का तत्समय निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति-संख्या पर लागू है, उस अधिकारी का जो वर्तमान समय में कृत्यों का निष्पादन कर रहा हो, या उस अधिकारी का, जिसके द्वारा कृत्यों का सामान्यतः निष्पादन किया जाता है, पदनाम उल्लिखित करना पर्याप्त होगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 17 का अनुकरण करती है। जब कोई व्यवस्था किसी पद के प्रत्येक धारक को लागू करनी हो तो उस पद का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। उदाहरणार्थ, जब यह कहा जाए कि सहायक कलेक्टर को अमुक शक्ति प्राप्त होगी, तो वह शक्ति प्रत्येक सहायक कलेक्टर को प्राप्त होगी, और जब जो व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हो, उसे वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

18– **उत्तरवर्ती** :– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में, किन्हीं कृत्यकारियों के या शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाले निगमों के उत्तरवर्तियों से किसी विधि के सम्बन्ध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कृत्यकारियों से या निगमों से उसका सम्बन्ध अभिव्यक्त करना पर्याप्त होगा।

व्याख्या

जब कोई विधि किसी पद या निगम के कृत्य भविष्य में भी सम्पादन करने वाले व्यक्तियों को लागू करनी हो तो उस पद या निगम मात्र का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। भविष्य में जो व्यक्ति उस पद पर या तत्स्थानी पद पर नियुक्त हो उसे भी वह विधि लागू होगी। उसी प्रकार से जिस निगम को विधि लागू की गई है उसका स्थान लेने वाले अन्य निगम या अधिकारी को भी वह विधि लागू होगी। उदाहरणार्थ, यदि नगरपालिका के लिए कोई विधि बनाई जाए और उस नगरपालिका को अधिक्रान्त करके प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए तो वह विधि उस प्रशासक को भी लागू होगी – **रहमान बनाम नागपुर नगर निगम** – 1970 बाम्बे 394। इसी प्रकार जब सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो सदर-ए-रियासत वाले उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ राज्यपाल को लागू हो जाएंगे – **मोहम्मद मकबूल दमनू बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य** – 1972 सु को. 963। इसी प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 18 में है।

19– **कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ** :– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में, वह

---

17. Substitution of functionaries.–In any Uttar Pradesh Act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of a law to every person or number of persons for the time being executing the functions of an office, to mention the official title of the officer at present executing the functions, or that of the officer by whom the functions are commonly executed.

18. Successors.–In any Uttar Pradesh Act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of a law to the successors of any functionaries or of corporations having perpetual succession, to express its relation to the functionaries or corporations.

19. Official chiefs and subordinates.–In any Uttar Pradesh Act, it shall be

अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए कि किसी कार्यालय के मुख्य या वरिष्ठ से सम्बन्धित विधि उन उपपदीयों या अधीनस्थों पर, जो अपने वरिष्ठ के स्थान पर उस पद के कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रहे हों, लागू होगी, उस वरिष्ठ के कर्तव्यों को विहित कर देना पर्याप्त होगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 19 की अनुकारी है। इसकी व्यवस्था यह है कि जब किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रमुख पद का निर्देश हो और उस पद के कृत्यों का सम्पादन उसका कोई अधीनस्थ कर रहा हो तो वह निर्देश उस अधीनस्थ के प्रति भी समझा जाएगा और उन कृत्यों के सम्पादन की सीमा तक वह विधि उस अधीनस्थ को भी लागू होगी। उसका अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता न होगी। अतः यदि वरिष्ठ अधिकारी के लिए कोई विधि बनाई जाए तो वह विधि उस वरिष्ठ अधिकारी के कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में उसके अधीनस्थ को भी लागू होगी।

19-क **आनुषंगिक शक्तियां** :– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किए जाने को प्रवृत्त करने के लिए कोई शक्ति दी जाए वहां यह समझा जाएगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गई हैं जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किए जाने को प्रवृत्त करने के लिए उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

व्याख्या

यह धारा इस सामान्य सिद्धान्त को अधिनियमित करती है कि जब किसी व्यक्ति या निकाय को कोई कार्य करने या कराने का दायित्व सौंपा जाए तो यह समझा जाएगा कि उस कार्य को करने कराने के लिए जो शक्तियां आवश्यक हैं वे भी उसे प्रदान की गई हैं। यह अवश्य है कि इसमें वे शक्तियां शामिल न होंगी जिनके लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अपेक्षित हो। और प्रत्येक शक्ति का प्रयोग तद्विषयक विधि के अधीन रहते हुए ही किया जा सकेगा। यहां "किए जाने को प्रवृत्त करने" से तात्पर्य कराने से है।

अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए परिनियत संलेखों के सम्बन्ध में उपबंध

20–(1) **अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए परिनियत संलेखों का अर्थान्वयन** :– जहां

---

sufficient for the purpose of expressing that a law relative to the chief or superior of an office shall apply to the deputies or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superior, to prescribe the duty of the superior.

19-A. Ancillary powers.–Where, by any Uttar Pradesh Act, a power is given to a person, officer or functionary to do or enforce the doing of any act or thing, all such powers shall be deemed also to be given as are necessary to enable that person, officer or functionary to do or enforce the doing of the act or thing.

PROVISIONS AS TO STATUTORY INSTRUMENTS ISSUED UNDER ENACTMENTS

20. [illegible] n of statutory instruments issued under enactments.–

कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई परिनियत संलेख जारी करने की शक्ति प्रदत्त की गई हो, वहां, जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हो, परिनियत संलेख में प्रयुक्त पदों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो शक्ति प्रदत्त करने वाले अधिनियम में हैं।

(2) धारा 4, 4-क, 6, 6-क, 6-ख, 7, 8, 9, 10, 10-क, 10-ग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-क और 28 के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी परिनियत संलेख के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

व्याख्या

इस धारा में केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 20 वाली शब्दों के अर्थ विषयक व्यवस्था करने के अतिरिक्त निर्वचन विषयक कुछ धाराएं भी परिनियत संलेखों को लागू कर दी गई हैं। ये धाराएं स्वतः तो उत्तर प्रदेश अधिनियमों के विषय में हैं तथा नियम आदि को उनके सिद्धान्त ही आवश्यकतानुसार लागू किए जा सकते थे; किन्तु उपधारा (2) ने वे धाराएं ही उन्हें लागू कर दी हैं। धारा 4(42-ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार "परिनियत संलेख" से तात्पर्य नियम, उपविधि, आदेश आदि से है जो किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं। अतः पहला सिद्धान्त यह है कि जिस शब्द का जो अर्थ अधिनियम में है वही उसके अधीन बनाए गए नियमों आदि में होगा। अतः अधिनियम में दी गई परिभाषाएं उसके अधीन बने नियमों को भी लागू होंगी। इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम में "भवन" की जो परिभाषा दी गई है वह उसके अधीन बनाई गई उपविधियों को भी लागू होगी – **बसलकोट सिटी म्यूनीसिपेलिटी बनाम बसलकोट सीमेण्ट कं.** – 1963 सु.को. 771। भूमि अर्जन अधिनियम में "कलेक्टर" शब्द का जो अर्थ दिया गया है वही उसके अधीन बने नियमों में माना गया – **अब्दुल हुसेन तैयब अली बनाम गुजरात राज्य** – 1968 सु.को. 432।

धारा 6 आदि भी संलेखों को लागू होंगी। अतः जब एक अधिसूचना को अधिक्रान्त करके दूसरी जारी की जाए तो स्थिति निरसन और पुनरधिनियमन वाली होगी – **उड़ीसा राज्य बनाम टोटागढ़ पेपर मिल्स कं. लि.** – 1985 सु.को. 1293 : (1985) 3 उम.नि.प. 1।

21– आदेशों, नियमों या उपविधियों के बनाने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोड़ने, उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना :– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा परिनियत संलेखों को जारी करने की शक्ति प्रदत्त की गई

---

(1) Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to issue any statutory instruments is conferred, then expressions used in the statutory instruments shall, unless there is anything repugnant in the subject or context, have the same respective meanings as in the Act conferring the power.

(2) The provisions of Sections 4, 4-A, 6, 6-A, 6-B, 7, 8, 9, 10, 10-A, 10-C, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-A, and 28 shall mutatis mutandis apply in relation to any statutory instrument issued under any Uttar Pradesh Act as they apply in relation to any Uttar Pradesh Act.

21. Power to make to include power to add to, amend, vary or rescind statutory instruments.–Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to issue statutory

हो, वहां इस प्रकार जारी किए गए परिनियत संलेखों में जोड़ने, उन्हें संशोधित करने या उनमें फेरफार करने या उनको विखण्डित करने की वैसी ही रीति से और वैसी ही मंजूरी और शर्तों के (यदि कोई हों) अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य शक्ति, उस शक्ति के अन्तर्गत है।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 21 वाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश अधिनियमों के संदर्भ में करती है। इसमें यह सामान्य सिद्धान्त समाहित है कि जब नियम आदि बनाने व आदेश देने की शक्ति प्रदान की जाए तो उसमें ऐसे नियमों या आदेशों में संशोधन करने तथा उन्हें रद्द करने की शक्ति का भी समावेश होगा। अतः स्वामित्व (रायल्टी) नियत करने की शक्ति हो तो उसमें वृद्धि की भी शक्ति होगी – **डी. के. त्रिवेदी ऐण्ड संस बनाम गुजरात राज्य** – 1986 सु.को. 1323। यह स्पष्ट है कि संशोधन आदि की शक्ति तभी होगी जब मूल आदेश करने की शक्ति हो। यह धारा न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प (quasi judicial) शक्तियों के प्रयोग को लागू न होगी। न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन विधि में स्पष्ट व्यवस्था के आधार पर ही किया जा सकता है, इस धारा के आधार पर नहीं – **इलियन ऐण्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सचेंज (प्रा.) लि. बनाम फार्वर्ड मार्केट्स कमीशन** – 1979 इलाहाबाद 332। इस शक्ति का प्रयोग ऐसे आदेश के सम्बन्ध में भी नहीं किया जा सकता जो कार्यान्वित हो चुका हो। अतः जब कोई अधिनियम प्रवर्तन में लाने का या किसी क्षेत्र को लागू करने का आदेश दे दिया जाए तो वह आदेश वापस नहीं लिया जा सकता – **विश्वेश्वर शरण सिंह बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण** – 1981 मध्य प्रदेश 12; **लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ** – (1976) 4 उम.नि.प. 76 : 1976 सु.को. 714। इसी प्रकार यदि किसी को अधिनियम के उपबन्धों से छूट दे दी गई है तो वह इस धारा के बल पर समाप्त नहीं की जा सकती – **नव समाज लि. बनाम कम्पनी रजिस्ट्रार** – 1966 बाम्बे 218। जब तक स्पष्ट व्यवस्था न हो, संशोधन आदि की शक्ति का प्रयोग भूतलक्षी रूप से नहीं किया जा सकता – **मोहम्मद स्वालेहिन बनाम उपराज्यपाल** – 1977 दिल्ली 184। हां, अधिनियम नियमों को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है – **नारायण राव बनाम ईश्वर लाल** – 1965 सु.को. 1818। जब मूल आदेश ही समाप्त हो चुका हो तब भी उसका संशोधन नहीं किया जा सकता – **स्ट्रा बोर्ड मेनुफैक्चरिंग कं. लि. बनाम गता मिल कर्मकार संघ** – 1953 सु.को. 95।

किसी नियम के संशोधन आदि की शक्ति का प्रयोग उसी प्रक्रिया से किया जा सकेगा तथा वह उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो नियम बनाने के लिए लागू होती हैं। अतः यदि मूल अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करना अपेक्षित हो तो उसे रद्द करने की अधिसूचना भी गजट में प्रकाशन के बिना प्रभावी नहीं होगी – **केरल राज्य बनाम पी.जे. जोसफ** – 1958 सु.को. 296। **महेन्द्र लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1963 सु.को. 1019 भी देखिए।

यदि स्वयं अधिनियम में नियम आदि बनाने की शक्ति के साथ-साथ संशोधन की शक्ति भी प्रदान की गई हो जो इस धारा से कम व्यापक हो तब भी इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु उस अधिनियम में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा – **लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ (उपर्युक्त)**।

---

instruments is conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add, amend, vary, or rescind any statutory instruments so issued.

22- अधिनियमितियों के प्रकाशन और प्रारम्भ होने के बीच परिनियत संलेखों का जारी किया जाना :- जहां कि किसी ऐसे उत्तर प्रदेश अधिनियम के, जिसे उस दिनांक को प्रवृत्त नहीं होना है जब कि उसे सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित किया जाए, लागू होने के सम्बन्ध में अथवा तदधीन या उसके द्वारा संशोधित किसी अधिनियमिति के अधीन प्रयोक्तव्य किसी शक्ति के प्रयोग में अथवा तदधीन किसी न्यायालय या कार्यालय की स्थापना या किसी न्यायाधीश या किसी अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में, अथवा उस व्यक्ति के जिसके द्वारा या उस समय के जब, या उस स्थान के जहां, या उस रीति के जिससे, या उन फीसों, करों, उपकरों या अन्य देयों के जिनके लिए उस अधिनियम के अधीन कोई बात की जानी हो, सम्बन्ध में परिनियत संलेख जारी करने की शक्ति उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो, वहां वह शक्ति उस अधिनियम के पूर्वोक्त रीति से प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रयोग में लाई जा सकेगी; किन्तु इस प्रकार जारी किए गए परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे जब तक उस अधिनियम का प्रारम्भ न हो जाए।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 22 वाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में करती है। यह ऐसे अधिनियम के अधीन परिनियत संलेख जारी करने के संबंध में है जो प्रकाशित तो हो गया है, किन्तु अभी प्रवर्तन में नहीं आया है। "परिनियत संलेख" की परिभाषा धारा 4(42-ख) में दी जा चुकी है। यह परिनियत संलेख निम्नलिखित किसी प्रकार का हो सकता है :-

(1) उस अधिनियम के लागू होने के सम्बन्ध में, अर्थात् कि वह किसको लागू होगा, किसको नहीं;
(2) उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके जारी किया गया;
(3) उस अधिनियम द्वारा अन्य अधिनियम में किए गए संशोधन द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके जारी किया गया;
(4) कोई न्यायालय या कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में;
(5) कोई न्यायाधीश या अन्य अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में;
(6) उस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात के-

---

22. Issuing of statutory instruments between publication and commencement of enactment.-Where, by any Uttar Pradesh Act, which is not to come into force on the day on which it is first published in the official Gazette, a power is conferred to issue statutory instruments with respect to the application of the Act, or in the exercise of any power exercisable thereunder or under any enactment thereby amended, or with respect to the establishment of any court or office, or the appointment of any Judge or officer thereunder, or with respect to the person by whom or the time when, or the place where, or the manner in which, or the fees, taxes, cess or other dues for which anything is to be done under the Act, then, that power may be exercised at any time after the Act has been published as aforesaid; but statutory instruments so issued shall not take effect till the commencement of the Act.

(i) कर्ता के विषय में, कि कौन करेगा;

(ii) समय के विषय में, कि कब की जाएगी;

(iii) स्थान के विषय में, कि कहां की जाएगी;

(iv) रीति के विषय में, कि किस ढंग से की जाएगी;

(7) फीस, कर, उपकर या अन्य देय के संबंध में जिसके लिए उस अधिनियम के अधीन कुछ किया जाना है।

2. किसी अधिनियम के अधीन कार्य तभी किया जा सकता है जब वह प्रवर्तन में आ जाए। किन्तु यह धारा उसके प्रकाशन के बाद तथा प्रवर्तन में आने के बीच की अवधि में भी नियम आदि बनाने, पद स्थापित करने या नियुक्तियां करने आदि के आदेश देने का कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। किन्तु ऐसा कोई नियम या आदेश प्रभावी तभी होगा जब अधिनियम प्रवर्तन में आ जाए। अनेक अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए नियम आदि बनाने की आवश्यकता होती है। उनके बिना उसके प्रवर्तन में आ जाने पर वह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अतः अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयारी करने की शक्ति इस धारा द्वारा प्रदान की गई है– **एच. के. स्वर्णकार बनाम मैसूर राज्य** – 1963 मैसूर 49। किन्तु नियम आदि प्रवर्तन में तभी आएंगे जब अधिनियम प्रवृत्त हो जाए, भले ही उनमें कोई पहले की तारीख दी गई हो– **राजस्थान राज्य बनाम मेवाड़ शुगर मिल्स लि.** – (1969) 1 उम.नि.प. 524 : 1969 सु.को. 880। यह धारा निर्वचन का एक सिद्धान्त ही बताती है–वही।

3. यह स्मरणीय है कि यह धारा कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करती। कार्य वही किया जा सकेगा जो अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हो तथा उससे असंगत न हो, देखिए – **केरल राज्य विद्युत् बोर्ड बनाम इंडियन एल्युमिनियम क. लि.** – (1976) 1 उम.नि.प. 1331 : 1976 सु.को. 1031। इस धारा के बल से वह अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहले भी किया जा सकता है, यद्यपि वह कार्य प्रभावी तभी से होगा जब अधिनियम प्रवर्तन में आ जाए।

4. यदि अधिसूचना पर तारीख पहले की पड़ी हो किन्तु वह प्रकाशित उस दिन हो जिस दिन अधिनियम प्रवर्तन में आए तो वह प्रकाशन वाले दिन ही की मानी जाएगी – **मद्रास राज्य बनाम एस. पद्मनाभन** – (1971) 1 उम.नि.प. 885 : 1971 सु.को. 2031। ऐसी दशा में इस धारा के आश्रय की आवश्यकता न होगी।

23– (1) नियमों या उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने के सम्बन्ध में लागू होने वाले उपबन्ध :– जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा नियम या उपविधियां बनाने की शक्ति का इस शर्त के अधीन दिया जाना अभिव्यक्त हो कि नियम या उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाई जाएं, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्–

(क) नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी,

---

23. Provisions applicable to making of rules or bye-laws after previous publication –(1) Where, by any Uttar Pradesh Act, a power to make rules or bye-laws is expressed to be given subject to the condition of the rules or bye-laws being made after previous publication, then the following provisions shall apply, namely—

(a) the authority having power to make the rules or bye-laws shall, before

उन्हें बनाने के पूर्व, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिन पर तद्द्वारा प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगा;

(ख) वह प्रकाशन ऐसी रीति से किया जाएगा जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त समझे, या यदि पूर्व प्रकाशन के बारे में की शर्त ऐसी अपेक्षा करे तो ऐसी रीति से किया जाएगा जिसे सम्बद्ध सरकार विहित करे;

(ग) उस प्रारूप के साथ एक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

(घ) नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी, और जहां कि नियम या उपविधियां किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति से बनाई जानी हों वहां वह प्राधिकारी भी, ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा जो नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व उस प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो;

(ङ) नियमों या उपविधियों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए तात्पर्यित नियम या उपविधि का सरकारी गजट में प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस नियम या उपविधि को सम्यक् रूप से बनाया गया है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उप-

---

making them, publish a draft of the proposed rules or bye-laws for the information of persons likely to be affected thereby;

(b) the publication shall be made in such manner as that authority deems to be sufficient or, if the condition with respect to previous publication so requires, in such manner as the Government concerned prescribes;

(c) there shall be published with the draft a notice specifying a date on or after which the draft will be taken into consideration;

(d) the authority having power to make the rules or bye-laws, and where the rules or bye-laws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, that authority also, shall consider any objection or suggestion which may be received by the authority having power to make the rules or bye-laws from any person with respect to the draft before the date so specified;

(e) the publication in the official Gazette of a rule or bye-law purporting to have been made in exercise of a power to make rules or bye-laws after previous publication shall be conclusive proof that the rule or bye-law has been duly made.

(2) The date referred to in clause (c) of sub-section (1) shall not be a date earlier than the day of expiration of a period of one month from the date of publication

विधियों का प्रारूप उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन प्रकाशित किए जाने के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुए या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उपविधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उपविधियां, यथास्थिति, पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी, या उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।

व्याख्या

इस धारा की उपधारा (1) केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 23 की अनुकारी है। उपधारा (2) व (3) अपनी है। जब नियम आदि बनाने की शक्ति देने के साथ-साथ अधिनियम में यह भी दिया रहता है कि वे पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बनाए जाएंगे या पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए जाएंगे उस दशा में यह धारा लागू होगी। नियम आदि बनाने के लिए विधित: यह आवश्यक नहीं है कि वे पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए जाएं – **तुलसीपुर शुगर क. लि. बनाम नोटीफाइड एरिया कमेटी, तुलसीपुर** –(1981) 1 उम.नि.प. 530 : 1980 सु.को. 882। किन्तु जहां नियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ पूर्व प्रकाशन की शर्त भी लगाई गई हो वहां उस शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा। अन्यथा नियम सामान्य विधि के अधीन अविधिमान्य रहेंगे – **नगर निगम, भोपाल बनाम मिसबाहुल हसन** – (1972) उम.नि.प. 499 : 1972 सु.को. 892। किन्तु यहां उपधारा (3) में एक विशिष्ट व्यवस्था कर दी गई है, जिस पर यहां आगे चर्चा की जाएगी।

2. पूर्व प्रकाशन के लिए यदि अधिनियम में प्रक्रिया दी हुई हो तो वह लागू होगी; अन्यथा यहां दी गई प्रक्रिया लागू होगी :

(1) जिस प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हो वह पहले उनका प्रारूप प्रकाशित करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व प्रकाशन कराने वाला तथा अन्तिम रूप से बनाने वाला प्राधिकारी एक ही हो। किन्तु पूर्व प्रकाशन कराने वाले प्राधिकारी को उस पूर्व प्रकाशन के समय नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए – **मणि लाल आर. पाण्ड्या बनाम चिमन लाल परषोत्तमदास** – 1968 गुजरात 80।

(2) यदि पूर्व प्रकाशन की रीति के बारे में कोई विधि हो तो वह तदनुसार किया जाएगा; अन्यथा प्रकाशन कराने वाला प्राधिकारी जो रीति पर्याप्त समझे उसी रीति से किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि वह रीति

---

of the draft of the proposed rules or bye-laws under clause (a) of that sub-section.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) and (2), where the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to make rules or bye-laws with immediate effect or with effect from a date earlier than a period of one month, it may make any such rules or bye-laws without previous publication or, as the case may be, fix a date referred to in clause (c) of sub-section (1) earlier than the day of expiration of a period of one month from the publication of the draft of the proposed rules or bye-laws.

सामान्य क्रम में सूचना के लिए उचित होनी चाहिए। सामान्यतः पूर्व प्रकाशन गजट में प्रकाशन द्वारा होता है।

(3) पूर्व प्रकाशन की अधिसूचना में यह भी सूचित किया जाएगा कि इस प्रारूप पर विचार अमुक तारीख को अथवा तत्पश्चात् किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसके पूर्व आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। सामान्यतः पूर्व सूचना प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक मास की होनी चाहिए। [उपधारा (2) देखिए।]

(4) जो आपत्तियां आई हों उन पर नियम बनाने वाले प्राधिकारी को विचार करना होगा। किसी अन्य से उन पर रिपोर्ट मांगी जा सकती है, किन्तु नियम बनाने वाले प्राधिकारी को स्वयं भी उन पर विचार करना होगा। अन्तिम प्रकाशन के समय पूर्व प्रकाशन के उल्लेख के साथ-साथ आपत्तियों पर विचार किए जाने की बात का भी उल्लेख उचित होगा।

जहां विधान यह हो कि नियम अमुक प्राधिकारी से परामर्श करके अथवा उसकी मंजूरी से बनाए जाएंगे वहां आपत्तियों पर विचार उस अन्य प्राधिकारी द्वारा भी किया जाना चाहिए। "परामर्श" से तात्पर्य विचारों के आदान-प्रदान से है। अतः जब परामर्श न माना जा रहा हो तो न मानने के कारण परामर्शदाता को सूचित करके उसकी प्रतिक्रिया जान लेनी चाहिए।

(5) आपत्तियों पर यथाविधि विचार के बाद नियम अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने चाहिए। प्रारूप में जो परिवर्तन किए जाएं उनकी पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। किन्तु मूलभूत परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए।

3. अन्तिम प्रकाशन हो जाने पर उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार वह प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि नियम यथाविधि बनाए गए हैं। यह व्यवस्था वहां लागू नहीं होगी जहां प्रक्रिया का बिल्कुल पालन ही न किया गया हो -- **नगर निगम, भोपाल बनाम मिसबाहुल हसन** – (1972) 2 उम नि.प. 499 : 1972 सु.को. 892। जब अनुपालन स्पष्ट हो, उदाहरणार्थ जब आपत्तियों के लिए उचित समय नहीं दिया गया तो यह खण्ड सहायक न होगा – **आटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट राजस्थान प्रा. लि. बनाम राजस्थान राज्य** – 1962 राज. 24। यह खण्ड तभी उपयोगी हो सकेगा जब नियम बनाने की अधिसूचना से प्रकट हो कि वे पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए गए हैं – **सी.जे. शाह बनाम छाबालाल मणिलाल** – 1968 कि.ला ज. 253। इस उपबन्ध से न्यायालय प्रक्रिया के प्रश्न पर जांच करने से पूर्णतः वर्जित नहीं हो जाता – **नगरपालिका बोर्ड, हापुड़ बनाम राघवेन्द्र कृपाल** – 1966 सु.को. 693। प्रक्रिया का सारतः पालन पर्याप्त होगा – **रजा शुगर क. बनाम नगरपालिका बोर्ड, रामपुर** – 1965 सु.को. 895।

4. उपधारा (3) में यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि नियम शीघ्र बनाए जाने चाहिए तो वह एक मास से कम की भी पूर्व सूचना दे सकती है, अर्थात् पूर्व प्रकाशन के बाद आपत्तियों के लिए एक मास से कम का समय भी दे सकती है। इसी प्रकार से यदि उसका समाधान हो जाए कि नियम तुरन्त बनाना आवश्यक है तो पूर्वसूचना का विधान होते हुए भी वह नियम बिना पूर्वसूचना के बना सकती है। समाधान सरकार को अपना करना होगा। अतः शीघ्रता या तुरन्त आवश्यकता के तथ्य को सामान्यतः न्यायालय में प्रश्नगत न किया जा सकेगा। फिर, इस शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार ही कर सकेगी, कोई अन्य प्राधिकारी नहीं।

23-क– (1) नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मण्डल का नियं-

---

23-A. Date of coming into effect of rules and the control of Legislature

लण :– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए, जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाएंगे, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाए, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जाएं, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तदधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(2) जहां कि कोई केन्द्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या लागू हो और ऐसे विषयों से संबंधित हो जिनके संबंध में राज्य विधान मण्डल को उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तदधीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है, वहां, ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

व्याख्या

उपधारा (1) राज्य सरकार द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए व्यवस्था करती है। उपधारा (2) वैसी ही व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के विषय में करती है जो राज्य विधान मण्डल की विधायी शक्ति के अन्तर्गत के किसी विषय पर हो, अर्थात् ऐसे विषय पर हो जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 या 3 में समाविष्ट हो।

2. उपधारा (1) के अनुसार नियम दोनों सदनों के समक्ष तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाएंगे।

---

over them.–(1) All rules made by the State Government under an Uttar Pradesh Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(2) Where any Central Act, in force in or applicable to Uttar Pradesh and relating to matters with respect to which the State Legislature has power to make laws for Uttar Pradesh, confers power on the State Government to make rules thereunder, then subject to any express provisions to the contrary in such Act, the provisions of sub-section (1) shall mutatis mutandis apply to the rules made by the State Government in exercise of that power.

इस अवधि में वे ही दिन गिने जाएंगे जब सदन सत्र में हो। जब उसी सत्र में पूरे तीस दिन उपलब्ध न होने के कारण उक्त अवधि एक ही सत्र में पूरी न हो सके तो वह दो या अधिक सत्रों में पूरी की जा सकेगी, अर्थात् नियम आगे के सत्रों में भी तब तक रखे जाएंगे जब तक उक्त अवधि पूरी न हो जाए। सदन के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। अतः यदि सदन उनके विषय में कोई निर्णय नहीं लेते तो नियम चलते रहेंगे। किन्तु यदि उक्त अवधि के दौरान दोनों सदन संकल्प पारित कर दें कि ये नियम नहीं होने चाहिए तो वे नियम निरसित हो जाएंगे। यदि दोनों सदन संकल्प पारित कर दें कि उनमें अमुक संशोधन होना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम उस संशोधित रूप में ही लागू होंगे। यह अवश्य है कि उक्त निरसन/संशोधन के पूर्व नियमों के अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता ऐसे निरसन या संशोधन से दुष्प्रभावित न होगी।

3. नियम बनते ही, या उनमें की गई व्यवस्था के अनुसार, प्रवृत्त हो जाएंगे। उनके प्रवर्तन में आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सदनों के समक्ष रख दिए जाएं – **खान मोहम्मद बनाम गुजरात राज्य** – 1966 सु.को. 385। **एटलस साइकिल इन्डस्ट्रीज लि. बनाम हरियाणा राज्य** – (1979) 4 उम.नि.प. 139 : 1979 सु.को. 1149 में निर्णय किया गया कि आदेश को सदन के समक्ष रखने के विधान का पालन न करने से वे अविधिमान्य नहीं हो गए।

4. इस व्यवस्था से नियमों पर विधान मण्डल की निगरानी रहती है। अतः उच्चतम न्यायालय ने **डी.एस. गारेवाल बनाम पंजाब राज्य** – 1959 सु.को. 512 में अत्यधिक प्रत्यायोजन (excessive delegation) की आपत्ति को अमान्य करने में इस बात को भी आधार बनाया कि विधान मण्डल नियमों पर निगरानी रख रहा है। इसी प्रकार से **दिल्ली क्लाथ ऐण्ड जनरल मिल्स कं. लि. बनाम भारत संघ** – 1983 उम.नि.प. 440 : 1983 सु.को. 937 : (1983) 4 उम.नि.प. 248 में निर्णय किया गया कि ऐसी व्यवस्था से विधान मण्डल का नियंत्रण स्पष्ट होता है और यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कर्तव्य-त्याग किया। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि सरकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के बाहर जाकर नियम बना दे तो भी वह मान्य होगा – **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चित्तूर बनाम एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट, मद्रास** – (1981) 3 उम.नि.प. 775 : 1980 सु.को. 1872; **एटलस साइकिल इन्डस्ट्रीज** आदि (उपर्युक्त); **केरल राज्य विद्युत् बोर्ड बनाम इण्डियन एल्युमिनियम कं.** – (1976) 1 उम.नि.प. 1331 : 1976 सु.को. 1031; **हुकम चन्द बनाम भारत संघ** – (1972) 3 उम.नि.प. 753 : 1972 सु.को. 2427। अतः यदि नियम भूतलक्षी रूप से बनाने की शक्ति नहीं है तो उनका निरसन भी भूतलक्षी रूप से नहीं हो सकता और ऐसा निरसन अमान्य होगा तथा सदनों के समक्ष रख देने से स्थिति सुधर नहीं जाती – **प्रादेशिक परिवहन अधिकारी** आदि (उपर्युक्त)।

5. जहां भी किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती थी वहां उपधारा (1) वाली व्यवस्था अलग उपधारा या धारा के रूप में जोड़नी होती थी। यहां व्यवस्था करने से वह आवश्यकता समाप्त हो गई क्योंकि यह व्यवस्था सभी उत्तर प्रदेश अधिनियमों को लागू होगी।

24–निरसित और पुनः अधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन की गई नियुक्तियों जारी की गई अधिसूचनाओं, आदेशों आदि का चालू रहना :– जहां कि कोई अधिनियमिति किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम को निरसित और परिष्कारों सहित या रहित पुनः अधि-

---

24. Continuation of appointments, notifications, orders, etc., issued under enactments repealed and re-enacted.–Where any enactment is repealed and re-enacted by an Uttar Pradesh Act, with or without modification, then, unless it is

नियमित की जाए यहां, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति या जारी किया कोई परिनियत संलेख या बनाया गया कोई प्रपत्र, जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गई किसी नियुक्ति अथवा जारी किए गए किसी परिनियत संलेख या बनाए गए किसी प्रपत्र द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाए, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया या बनाया गया समझा जाएगा।

व्याख्या

यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 24 वाली व्यवस्था राज्य विधि के सम्बन्ध में करती है। सामान्य विधि यही है कि जब अधिनियम समाप्त हो जाए तो उसके अधीन बनाए गए नियम आदि भी समाप्त हो जाएंगे – हरिश्चन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य – 1965 सु.को. 932। इस स्थिति से बचने के लिए इस धारा में एक सामान्य व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि हर निरसन के समय ऐसी व्यवस्था न करनी पड़े। इस धारा का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है :–

(1) जब किसी अधिनियमिति का निरसन किया जाए; यह आवश्यक नहीं है कि निरसित विधि उत्तर प्रदेश अधिनियम या उसका भाग हो;

(2) और यह निरसन उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा हो, किसी अन्य विधि द्वारा नहीं;

(3) वही अधिनियम निरसित विधि को पुनः अधिनियमित करे; यह पुनः अधिनियमन पुरानी विधि में संशोधनों के साथ भी हो सकता है;

(4) तब पुरानी विधि के अधीन जारी किए गए परिनियत संलेख जहां तक वे नई विधि से असंगत हों वहां तक तो वे निरसित हो जाएंगे किन्तु जहां तक वे असंगत न हों वहां तक वे नए अधिनियम के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे और उस रूप में प्रवृत्त बने रहेंगे;

(5) वे इस प्रकार प्रवृत्त तब तक बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नए संलेख न जारी कर दिए जाएं। नई विधि द्वारा उन्हें निरसित या संशोधित भी किया जा सकता है।

2. तत्कालीन बम्बई राज्य के अधिनियम की ऐसी ही धारा का निर्वचन बम्बई राज्य बनाम पाण्डुरंग – 1953 सु.को. 244 में किया गया है। उदाहरणार्थ, सील उर्फ निरंजन मजूमदार बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य – (1972) 3 उ.नि.प. 583 : 1972 सु.को. 2066 में पुराने आयुध अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना नया अधिनियम बन जाने के बाद भी लागू मानी गई। जगदत्त बनाम सावित्री देवी – 1977 पंजाब 68 व असम राज्य बनाम आसाम टी क. लि. – (1975) 4 उ.नि.प. 1511 : 1971 सु.को. 1358 भी देखिए। यदि निरसित अधिनियम में यह दिया हुआ हो कि उसके अधीन बनाए गए नियम उस अधिनियम का भाग समझे

---

otherwise expressly provided, any appointment or statutory instrument or form, made or issued under the repealed enactment, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force, and be deemed to have been made or issued under the provisions so re-enacted, unless and unill it is superseded by an appointment, or statutory instrument or form made or issued under the provisions so re-enacted.

जाएंगे तब भी यह धारा लागू होगी और वे तदनुसार प्रवृत्त रहे माने जाएंगे — **मुख्य खान निरीक्षक बनाम करमचन्द थापर** – 1961 सु.को. 838 व **मोहन लाल बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य** – 1961 सु.को. 1543। हां, यदि वे नई विधि से असंगत हों तो असंगति की सीमा तक वे निरसित हो जाएंगे – **भिलाई स्टील प्रोजेक्ट बनाम स्टील वर्कर्स यूनियन** – 1964 सु.को. 1333। **मे. भवानी काटन मिल्स लि. बनाम पंजाब राज्य** – 1967 सु.को. 1616 भी देखिए। किन्तु यदि नई विधि में ही इस बात की स्पष्ट व्यवस्था हो कि पुरानी स्कीम बनी रहेगी और उसमें संशोधन करने के लिए भी व्यवस्था हो तो पुरानी स्कीम की नई विधि से असंगति पर विचार नहीं किया जाएगा – **श्री जगद्गुरु कारी बासव राजेन्द्रस्वामी बनाम आयुक्त आदि** – 1965 सु.को. 502।

3. इस धारा के अनुसार पुराना संलेख नए अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया माना जाएगा। किन्तु यह मान्यता तभी हो सकेगी जब नए अधिनियम का कोई उपबंध हो जिसके अधीन वह जारी किया जा सके। यदि नए अधिनियम के अधीन वह जारी नहीं किया जा सके तो इस धारा के बल पर वह प्रवृत्त नहीं रह सकेगा – **सी. राजगोपालाचारी बनाम मद्रास निगम** – 1964 सु.को. 1172।

4. यह धारा तब तो लागू होती ही है जब निरसन स्पष्ट शब्दों में हो, अपितु तब भी लागू होगी जब निरसन विवक्षित (implied) हो – **अरिबम पिशक शर्मा बनाम अरिबम तुलेश्वर शर्मा** – 1968 मणिपुर 74। [**अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा** – 1979 सु.को. 1047 में अन्य प्रश्न पर उलट दिया गया]।

5. संशोधन भी निरसन और पुनरधिनियमन का एक रूप है। अतः यह धारा अधिनियम के संशोधन को भी लागू होगी और असंशोधित धारा के अधीन जारी किए गए संलेख संशोधित धारा के अधीन जारी किए गए माने जाएंगे – **बोंबरा इलेक्ट्रिसिटी कं. लि. बनाम सोमालाल माधवजी सिरोइया** – 1968 गुजरात 172; **पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कं. लि. बनाम राज्य** – 1967 बाम्बे 27। किन्तु यदि मामला निरसन का न होकर पुरानी विधि के अवसान (expiry) का हो तो स्वतः यह धारा लागू न होगी – **होतचन्द शामदास बनाम ला.श्रीराम** – 1963 इला. 234। न तब लागू होगी जब पुरानी विधि व्यपगत (lapse) हो जाए – **दुस्ट भाई लक्ष्मी सियालकोटी बिरादरी बनाम अध्यक्ष, अमृतसर सुधार न्यास** – 1963 सु.को. 976। किन्तु इस अधिनियम की धारा 6-क ने अवसान को भी यह धारा व धारा 6 लागू कर दी है। यह धारा तब भी लागू न होगी जब निरसित विधि शून्य रही हो क्योंकि उसके अधीन संलेख जारी किया ही नहीं जा सकता था – **जयराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1962 इला. 350। किन्तु यदि पुराने वैध अधिनियम के निरसन के साथ-साथ नए अधिनियम ने पुराने अधिनियम के अधीन जारी किए गए तात्पर्यित (purporting) संलेख भी जीवित रखे हों तो उनकी विधिमान्यता नए अधिनियम के अधीन देखी जाएगी – **मे. गुजरात पाटरी वर्क्स बनाम बी. पी. सूद** – 1967 सु.को. 964। यह धारा तब भी लागू न होगी जब संलेख किसी निरसित की गई अधिनियमिति के अधीन न होकर मात्र कार्यपालक आदेश हो – **बालक राम वैश बनाम बद्री प्रसाद अवस्थी** – 1969 इलाहाबाद 88।

प्रकीर्ण

25– **जुर्मानों की वसूली** :– भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 63 से 70 तक और

MISCELLANEOUS

25. Recovery of fines –Section 63 to 70 of the Indian Penal Code and the

जुर्मानों के उद्ग्रहण के लिए वारण्टों के निकाले जाने और निष्पादित करने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध, किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन, या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या बनाई गई किसी उपविधि के अधीन अधिरोपित सब जुर्मानों पर तब के सिवाय लागू होंगे, जबकि उस अधिनियम, नियम या उपविधि में तत्प्रतिकूल कोई अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो।

व्याख्या

यह धारा किसी उत्तर प्रदेश विधि के अधीन किए जाने वाले जुर्माने को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 62 से 70 तक के उपबन्ध तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के जुर्माने की वसूली संबंधी उपबन्ध (अर्थात् 1973 की संहिता की धारा 421 से 423 तक के उपबन्ध) लागू करती है। इसी प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय विधि के संबंध में केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 25 में है। यह धारा वहां लागू न होगी जहां जुर्माना किसी राज्य विधि के अधीन न किया गया हो। उच्च न्यायालय के अवमान के लिए किए जाने वाले जुर्माने के लिए यह निर्णय किया गया है कि वह परम्परागत विधि तथा संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन प्राप्त शक्ति से किया जाता है अतः उसे केन्द्रीय अधिनियम की धारा 25 लागू न होगी – **आर. एल. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य** – (1972) 2 उम.नि प. 555 : 1972 सु.को. 858। इस धारा की व्यवस्था के कारण उक्त संहिताओं के उपबन्धों को जुर्माना की व्यवस्था करते समय दोहराने की आवश्यकता नहीं रह गई। किन्तु यदि जुर्माना करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि में उक्त संहिता के किसी उपबन्ध से कोई असंगत बात दी हो तो उस असंगति की सीमा तक संहिता का उपबन्ध लागू न होगा।

26– दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उपबंध :– जहां कि कोई कार्य या लोप दो या अधिक उत्तर प्रदेश अधिनियमों के अधीन कोई अपराध गठित करता हो वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों में से एक या दूसरे के या उनमें से किसी के अधीन अभियोजित और दण्डित किए जाने का भागी होगा, किन्तु उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित किए जाने का भागी नहीं होगा।

व्याख्या

1. यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 26 वाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश अधिनियमों के संदर्भ में करती है। इसकी व्यवस्था यह है कि जब किसी कार्य या कार्यलोप से दो उत्तर प्रदेश अधिनियमों के अधीन अपराध बनता हो तो उसका अभियोजन तो दोनों अधिनियमों के अधीन किया जा सकता है, किन्तु दण्ड

---

provisions of the Code of Criminal Procedure for the time being in force in relation to the issue and the execution of warrants for the levy of fines shall apply to all fines imposed under any Uttar Pradesh Act, or any rule or bye-law made under any Uttar Pradesh Act, unless the Act, rule or bye-law contains an express provision to the contrary.

26. Provision as to offences punishable under two or more enactments.–Where an act or omission constitutes an offence under two or more Uttar Pradesh Acts, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence.

दो में से किसी एक अधिनियमिति के अधीन ही दिया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने व दण्ड देने का निषेध करता है। किन्तु यह धारा एक ही समय पर दो अधिनियमों के अधीन अभियोजन के विषय में है। उक्त अनुच्छेद एक बार दण्डित हो जाने पर उसी अपराध के लिए दुबारा दण्ड का निषेध करता है – **मकबूल हुसैन बनाम मुम्बई राज्य** – 1953 सु.को. 325। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 किसी अपराध के लिए दण्डित या दोषमुक्त होने के बाद दुबारा उसी के लिए अभियोजन का निषेध करती है — **मणिपुर प्रशासन बनाम थोकोहोम बीर सिंह** – 1965 सु.को. 87। किन्तु यह धारा दो अधिनियमों के अधीन अभियोजन का निषेध न करके दोनों के अधीन दण्डित करने का निषेध करती है। अतः दो अलग-अलग उत्तर प्रदेश अधिनियमों के अधीन आरोप-पत्र या परिवाद दिया जा सकता है, आरोप विरचित किया जा सकता है तथा विचारण किया जा सकता है; किन्तु दण्ड किसी एक के अधीन ही दिया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 71 दोनों के अधीन दण्ड का निषेध न करके केवल यह विधान करती है कि दो उपबन्धों में जिसमें अधिक दण्ड का विधान हो उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जाएगा। यहां प्रश्न दण्ड की मात्रा का है तथा दोनों के अधीन दण्ड का निषेध नहीं है।

2. यह धारा तभी लागू होगी जब दो अधिनियमितियां एक ही समय में प्रवृत्त हों और यह एक प्रकार से एक ही विषय पर दो अधिनियमितियां होने पर विवक्षित निरसन (implied repeal) के सिद्धांत को लागू होने से रोकती है। किन्तु जब बाद वाली अधिनियमिति पूर्ववर्ती अधिनियमिति से इतनी असंगत हो कि पूर्ववर्ती अधिनियमिति निरसित मानी जाए तब यह धारा लागू करने का अवसर नहीं आएगा क्यों तब एक ही अधिनियमिति विद्यमान मानी जाएगी।

3. पुनः, यह धारा लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों अधिनियमों में एक ही अपराध के लिए व्यवस्था हो, भिन्न अपराधों की नहीं — **मध्य प्रदेश राज्य बनाम वेंकटेश्वर राव अग्निहोत्री** – 1957 सु. को. 592। एक ही अपराध तब माना जाएगा जब उसे गठित करने वाले तथ्य एक ही हों, अर्थात् उसके संघटक (ingredients) एक ही हों – **मणिपुर प्रशासन बनाम थोकोहोम बीर सिंह** – 1965 सु.को. 87 तथा **मुम्बई राज्य बनाम एस. एस. आप्टे** — 1961 सु.को. 578। यदि एक ही कार्य द्वारा दो अपराधों का सबूत गठित किया जाता है तो वे अलग-अलग अपराध हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक में संबंधित अपराध वाले तथ्य अलग-अलग होंगे — **रोशन लाल बनाम पंजाब राज्य** – 1965 सु.को. 1413। चोरी के रिवाल्वर की बरामदगी पर आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन तथा भा.दं.सं. की धारा 411 के अधीन अपराध एक ही नहीं है – **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रभात कुमार त्रिवेदी** — 1966 इलाहाबाद 349। हां, दो अधिनियमितियों में केवल भिन्न विचारण-प्रक्रिया या भिन्न दण्ड का विधान होने से अपराध भिन्न न हो जाएगा — **राज्य बनाम पाण्डुरंग बापू राव** — 1955 बाम्बे 451। जब अभियोजन के लिए एक में मंजूरी की आवश्यकता हो तथा दूसरे में न हो तो दूसरे के अधीन बिना मंजूरी के अभियोजन किया जा सकता है -- **बामन सम्भाजी पुका बनाम नरहरि सम्भाजी राव** -- 1968 बाम्बे 124।

4. यहां निषेध दो अधिनियमों के अधीन एक ही अपराध के लिए एक साथ दण्ड देने का है; किन्तु अभियोजन का नहीं है। अतः अभियोजन और विचारण तो दोनों अपराधों के लिए किया जा सकता है; किन्तु दण्ड एक ही के अधीन दिया जा सकेगा — **बापजिया का मामला** — 1970 आन्ध्र-47 तथा **नायमल पोद्दार बनाम सलिल कुमार चक्रवर्ती** — 1971 कलकत्ता 93। यह धारा दुबारा अभियोजन का भी निषेध नहीं करती -- **टी. एस. बालिया बनाम टी. एस. रंगाचारी** — 1969 सु.को. 70। अतः जब गलत आय कर विवरणी दी गई हो तो धारा 177 भा.दं.सं. तथा आय कर अधिनियम, 1922 की धारा 52 दोनों के अधीन अभियोजन किया जा सकता

है । दण्ड अवश्य एक ही के अधीन दिया जा सकेगा । इसी प्रकार जब कोई कार्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा भारतीय दण्ड संहिता दोनों के अधीन अपराध हो तो अभियोजन दोनों के अधीन किया जा सकता है, यद्यपि दण्ड एक ही के अधीन दिया जा सकेगा – **सावमल पोद्दार बनाम ललित कुमार चक्रवर्ती** – (उपर्युक्त) । इसी प्रकार जब कार्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1959 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 दोनों के अधीन अपराध था तो उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 26 लागू मानी – **दिल्ली नगर निगम बनाम शिवशंकर** – (1971) 2 उम.नि.प. 110 : 1971 सु.को. 815 ।

27– **डाक द्वारा तामील का अर्थ** :– जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है, चाहे पद "तामील" का, अथवा "देना" या "भेजना" इन दोनों पदों में से किसी का अथवा किसी अन्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहां, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, किसी पत्र पर जिसमें वह दस्तावेज हो, ठीक से पता लिखने, डाक महसूल का पूर्व-भुगतान करने और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जाएगी और, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह समझा जाएगा कि तामील उस समय पर हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता ।

व्याख्या

1. यह धारा केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 का अनुकरण करती है । यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के सिद्धान्त को ही एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू करती है । उसकी व्यवस्था यह है :–

> "न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है ।"

2. यह धारा वहां लागू होगी जहां किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी कागज को डाक द्वारा तामील की बात की गई हो । इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसमें "तामील" शब्द का प्रयोग किया गया है या "देना" या "भेजना" शब्द का । "जारी करना" शब्द का भी ऐसे संदर्भ में वही अर्थ लिया जाएगा – **बनारसी देवी बनाम आय कर अधिकारी** – 1964 सु.को. 1742 । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि "भेजना" और "तामील करना" का अर्थ एक ही मान लिया जाएगा । स्वयं इस धारा के अनुसार तामील का समय भेजने के कुछ समय बाद का होना, देखिए – **जय चरण लाल अनंत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1968 सु.को. 5 ।

---

27. Meaning of service by post.–Where any Uttar Pradesh Act authorises or requires any document to be served by post, whether the expression "serve" or either of the expressions "give" or "send" or any other expression is used, then, unless a different intention appears, the service shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting by registered post, a letter containing the document and, unless the contrary is proved, to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

3. यह धारा उपधारणा के विषय में है। जब पक्षकारों ने तामील होने-न-होने का साक्ष्य पेश कर दिया हो तो प्रश्न उपधारणा का न रह कर साक्ष्य के मूल्यांकन का हो जाएगा। अतः जब वादी तामील का प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करे जो अविश्वसनीय हो तो फिर उपधारणा का आश्रय न लिया जा सकेगा – **शरद बनाम विष्णु** – 1978 बाम्बे 187। फिर, इस धारा के अनुसार उपधारणा मात्र होगी, निश्चायक सबूत नहीं माना जाएगा। अतः दूसरा पक्षकार साक्ष्य देकर उस उपधारणा का खण्डन कर सकता है – **मातादीन शर्मा बनाम उपेन्द्र शर्मा** – 1972 पटना 292। किन्तु प्रतिपक्षी के संशय इन्कार से ही उपधारणा खण्डित हो जाना आवश्यक नहीं है; परिस्थितियां देखनी होंगी – **श्रीमती सुशीला देवी बनाम मनोहर लाल** – 1985 इलाहाबाद 178। साथ ही यदि इंकारी अविश्वसनीय न हो तो उससे उपधारणा का खण्डन हो जाएगा – **जगतराम खुल्लर बनाम बदलूमल** – 1976 दिल्ली 111। किन्तु यह उपधारणा केवल इस बात से खण्डित न हो जाएगी कि डाकिए ने नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को न देकर उसके यहां किसी अन्य को दे दिया – **वही। बद्री प्रसाद बनाम लक्ष्मी नारायण** – 1964 इलाहाबाद 426 भी देखिए। स्वयं इस धारा में प्रयुक्त "जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए" शब्दों से स्पष्ट है कि उपधारणा तभी तक है जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तथा दूसरा पक्षकार तत्प्रतिकूल सबूत दे सकता है।

4. उपधारणा करने के लिए इस धारा में दी गई सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए और यदि एक भी शर्त पूरी होने से रह जाती है तो इस धारा का लाभ न मिल सकेगा – **मेसर्स आदमभाई हाजी इस्माइल बनाम भैया रामदास** – 1975 गुजरात 54 (पूर्ण न्यायपीठ)। इस उपधारणा के लिए चार बातें साबित करनी होंगी :–

(i) पत्र रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा गया;
(ii) उस लिफाफे में प्रश्नगत सामग्री थी;
(iii) उस पर सही पता लिखा हुआ था;
(iv) उस पर उचित मूल्य के टिकट लगा दिए गए थे।

5. उपधारणा दो बातों की होगी : एक तो यह कि वह लिफाफा यथास्थान मिल गया और दूसरी यह कि वह उस समय मिला जबकि डाक के सामान्य क्रम में उसके पहुंचने की आशा की जाती है। उपधारणा सम्बोधिती को उस पत्र की विषय-वस्तु की जानकारी हो जाने की भी होगी।

6. जब लिफाफा वापस न आए तो उसकी तामील की उपधारणा की जाएगी। जब वह वापस आए तथा उस पर डाकिए का पृष्ठांकन हो कि मिले नहीं या कि मकान का ताला बन्द था, आदि तो तामील की उपधारणा नहीं की जा सकेगी क्योंकि उस पृष्ठांकन से ही प्रत्यक्ष होगा कि तामील नहीं हो सकी, देखिए – **जितेन्द्र बनाम अध्यक्ष, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण** – 1971 उड़ीसा 120। किन्तु यदि उस पर पृष्ठांकन हो कि सम्बोधिती ने लेने से इन्कार किया तो तामील की उपधारणा कर ली जाएगी और डाकिए को साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता न होगी तथा इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का भी आश्रय लिया जा सकता है – **मेसर्स आदमभाई आदि** (उपर्युक्त) तथा **भगतराम खुल्लर आदि** (उपर्युक्त); **पुवाडा वेंकटेश्वर राव बनाम चिदम्बर वेंकट रमण** – (1977) 1 उम.नि.प. 697 : 1976 सु को 869 भी देखिए। ऐसी इन्कारी की दशा में वह पत्र पहुंचा, इसके अतिरिक्त उपधारणा इस बात की भी होगी कि सम्बोधिती को उसकी विषय वस्तु की जानकारी हो गई और यह साबित नहीं करना होगा कि पत्र पढ़कर सुनाया गया – **हर चरण सिंह बनाम शिवरानी** – (1982) 1 उम नि प. 474 : 1981 सु को. 1284।

7. इस धारा में प्रयुक्त "जब तक कि विपरीत आशय प्रतीत न हो" पद से यह भी स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन उपधारणा तभी की जा सकेगी जब उस अधिनियम में इस प्रकार की उपधारणा करने के प्रतिकूल कोई बात न हो। अतः यदि अधिनियम में तामील के किसी विशेष सबूत की अपेक्षा हो तो उपधारणा न की जा

सकेगी।

8. इस धारा में उपधारणा रजिस्ट्रीकृत पत्रों के ही विषय में है, सादे पत्रों के विषय में नहीं। उस दशा में उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के अधीन की जा सकती है - जितेन्द्र नाथ दास बनाम विजय लाल दास - 1976 कलकत्ता 478।

28- (1) **अधिनियमितियों का प्रोद्धरण** :- किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में और किसी ऐसे अधिनियम के अधीन या उसके प्रति निर्देश से बनाए गए किसी नियम, उपविधि, लिखत या दस्तावेज में किसी अधिनियमिति को उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो) के प्रति निर्देश से अथवा उसकी संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश से प्रोद्धृत किया जा सकेगा और किसी अधिनियमिति के किसी भी उपबंध को उस अधिनियमिति की, जिसमें वह उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो, धारा या उपधारा के प्रति निर्देश से प्रोद्धृत किया जा सकेगा।

(2) 22 मई, 1902 के पूर्व बनाए गए किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम को प्रोद्धृत करने में, उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो) में शब्द "नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध" के स्थान पर शब्द "संयुक्त प्रान्त" तथा शब्द "नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज" के स्थान पर शब्द "आगरा" प्रतिस्थापित किए जा सकेंगे।

(3) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी दूसरी अधिनियमिति के किसी प्रभाग के वर्णन या प्रोद्धरण का, जब तक कि भिन्न आशय न प्रतीत हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वह शब्द, धारा या अन्य भाग आता है जिसका इस रूप का उल्लेख या निर्देश है कि वह उस वर्णन या प्रोद्धरण में समाविष्ट प्रभाग का प्रारम्भ है और अन्त है।

व्याख्या

इस धारा की उपधारा (1) व (3) केन्द्रीय साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 28(1) व (2) की अनुकारी है तथा उपधारा (2) अपनी है। उपधारा (1) के अनुसार किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम का उल्लेख

---

28. Citation of enactments.-(1) In any Uttar Pradesh Act, and in any rule, bye-law, instrument or document, made under, or with reference to, any such Act, any enactment may be cited by reference to the title or short title (if any), conferred thereon or by reference to the number and year thereof, and any provision in an enactment may be cited by refrence to the section or sub-section of the enactment in which the provision is contained.

(2) In citing any Uttar Pradesh Act, made previously to the 22nd day of May, 1902, the words "United Provinces" may be substituted for the words "North-Western Provinces and Oudh" and the word "Agra" for the words "North-Western Provinces" in the title or short title (if any) conferred thereon.

(3) In any Uttar Pradesh Act a description or citation of a portion of another enactment shall, unless a different intention appears, be construed as including the word, section or other part mentioned or referred to as forming the beginning and as forming the end of the portion comprised in the description or citation.

तीन प्रकार से किया जा सकता है : (i) नाम या वृहत्नाम से; (ii) संक्षिप्त नाम से; तथा (iii) अधिनियम के वर्ष और संख्या से। वृहत्नाम अधिनियम के शीर्षक के रूप में दिया रहता है और वह पूरा नाम होता है, जैसे इस अधिनियम का वृहत्नाम प्रथम पृष्ठ पर दिया हुआ है — 1987 व 1986 के यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्टों के समेकन और विस्तारण के लिए अधिनियम" प्राधिकृत हिन्दी पाठ में "यूनाइटेड प्राविंसेज" की जगह "संयुक्त प्रान्त" है और 1975 के संशोधन द्वारा "उत्तर प्रदेश" कर दिया गया है। वृहत् नाम प्रायः अधिक लम्बा होने के कारण संक्षिप्त नाम देने की परम्परा प्रारम्भ हुई। यह प्रायः अधिनियम की पहली धारा के प्रारम्भ में दिया रहता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है "उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904"। जब कोई अधिनियम बनता है तो उसे एक रजिस्टर में चढ़ाकर वर्ष की क्रम संख्या दी जाती है। उससे भी अधिनियम का निर्देश हो सकता है। यह संख्या प्रायः संक्षिप्त नाम के साथ-साथ कोष्ठकों में या पार्श्व में देने का भी चलन है। यह अधिनियम 1904 का अधिनियम सं. 1 है। अधिनियम के स्वतंत्र संख्यांकित अंशों को "धारा" कहते हैं तथा धारा के स्वतंत्र संख्यांकित अंशों को "उपधारा" कहते हैं। धारा की संख्या बिना कोष्ठकों के होती है और उपधारा की कोष्ठकों में होती है।

उपधारा (2) पुराने अधिनियमों के नामों में समयानुसार परिवर्तन की बात करती है। अवध को छोड़कर उत्तर प्रदेश का लगभग सभी शेष भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक आ गया था। वह भाग बंगाल प्रेसीडेंसी का पश्चिमोत्तर भाग होने के कारण "पश्चिमोत्तर प्रान्त" कहलाया। 1856 में अवध भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाने पर उसका शासन पश्चिमोत्तर प्रान्त के साथ किया जाने लगा। अतः प्रायः "पश्चिमोत्तर प्रान्त व अवध" अथवा "नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऐण्ड अवध" लिखा जाने लगा। बाद में पश्चिमोत्तर प्रान्त वाले भाग का नाम "आगरा" कर दिया गया और पूरे प्रान्त का नाम "संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध" अथवा "संयुक्त प्रान्त" हो गया। पुराने अधिनियमों के नामों में प्रान्तों के तत्कालीन नामों का प्रयोग है। परिवर्तित स्थिति में उनमें परिवर्तन करके पढ़ने की बात यहां कही गई है।

उपधारा (3) में यह बात स्पष्ट की गई है कि जब किसी अन्य अधिनियमिति से प्रोद्धरण दिया जाए तो उसमें उसके प्रारम्भिक तथा अंतिम शब्द का भी समावेश मानना चाहिए। पुरानी अंग्रेजी परम्परा में from व to का प्रयोग होने पर प्रारम्भिक व अंतिम शब्द या संख्या समाविष्ट नहीं भी मानी जाती थी। उसी का निराकरण यहां किया गया है।

29– वर्तमान अधिनियमितियों में नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध के प्रति निर्देश :– समस्त केन्द्रीय अधिनियमों या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों में और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों में जो इससे पूर्व पारित हुए हों और अब भी प्रवृत्त हों, और तदधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति या जारी किए गए प्रत्येक परिनियत संलेख में नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे उत्तर प्रदेश के प्रति निर्देश हैं;

---

29. References in existing enactments to North-Western Provinces and Oudh.–In all Central Acts or Regulations made by the Central Government and all Uttar Pradesh Acts, heretofore passed and now in force, and in every appointment or statutory instrument made or issued thereunder, all references to the North-Western Provinces and Oudh shall be construed as referring to Uttar Pradesh, all references to the North-Western Provinces and to the Province of Oudh respectively shall be construed

क्रमशः नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज के और प्राविंस आफ अवध के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे उत्तर प्रदेश में समाविष्ट तत्स्थानी राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैं और नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या अवध के चीफ कमिश्नर या नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर इन कौंसिल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के प्रति निर्देश हैं।

व्याख्या

यह धारा परिवर्तित स्थिति में पुराने निर्देशों का अर्थ लगाने के लिए है। इसके अनुसार स्थिति यह होगी :–

नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऐण्ड अवध = उत्तर प्रदेश
नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज = उत्तर प्रदेश का आगरा प्रान्त वाला राज्यक्षेत्र
प्राविंस आफ अवध = उत्तर प्रदेश का अवध वाला राज्यक्षेत्र
नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर = उत्तर प्रदेश सरकार
अवध के चीफ कमिश्नर = उत्तर प्रदेश सरकार
नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऐण्ड अवध के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर इन काउंसिल = उत्तर प्रदेश सरकार।

30–गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन के अध्यादेशों और विनियमों पर लागू होना :– इस अधिनियम के उपबन्ध–

(क) गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 88 के अधीन गवर्नर द्वारा प्रख्यापित किसी आध्यादेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे गवर्नर द्वारा उक्त ऐक्ट के अधीन बनाए गए उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त ऐक्ट की धारा 92 के अधीन गवर्नर द्वारा बनाए गए किसी विनियम के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रान्तीय विधान मण्डल द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं; और

---

as referring to the corresponding territories as comprised in Uttar Pradesh and all references to the Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces or the Chief Commissioner of Oudh or the Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces and Oudh in Council shall be construed as referring to the State Government of Uttar Pradesh.

30 Application to ordinances and regulations under the Government of India Act, 1935.–The provisions of this Act shall apply–

(a) in relation to any Ordinance promulgated by the Governor under Section 88 of the Government of India Act, 1935, as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts, made under the said Act by the Governor, and in relation to any Regulation made by the Governor under Section 92 of the said Act as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts, made by the Provincial Legislature; and

(ख) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश या संविधान की पंचम अनुसूची की कण्डिका 5 के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किसी विनियम के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश अधिनियमों के सम्बन्ध लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का खण्ड (ख), किसी ऐसे अध्यादेश पर जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, इस प्रकार लागू होगा मानो उक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिनियम पर अनुमति के सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशन के दिन के प्रति निर्देश के स्थान पर अध्यादेश के उस गजट में पहली बार प्रकाशन के दिन के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो ।

व्याख्या

इस अधिनियम की शब्दावली इस प्रकार की है कि उसमें दी गई परिभाषाएं तथा निर्वचन के नियम सामान्यतः उत्तर प्रदेश अधिनियमों को लागू होते हैं । धारा 20(2) ने उनमें से अधिकांश को परिनियत संकेतों [धारा 4(42-ख) देखिए] को लागू कर दिया है । यह धारा सभी उपबन्ध अध्यादेशों तथा विनियमों को लागू कर देती है । केवल एक अनुकूलन किया गया है । वह यह कि धारा 5(1)(ख) के अधीन अध्यादेश सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित होने की तारीख को प्रवर्तन में आएगा, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति सरकारी गजट में पहली बार प्रकाशित होने की तारीख को । कारण स्पष्ट है । अध्यादेश स्वयं राज्यपाल प्रख्यापित करते हैं और उस पर अनुमति किसी की नहीं होती ।

इसी धारा का आश्रय लेकर उच्चतम न्यायालय ने **प्रबोध वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – 1984 उम. नि.सा. 468 : 1987 सु.को. 167 में निर्णय किया कि "धारा" शब्द का प्रयोग अध्यादेश के भी अंशों के लिए किया जाना उचित है ।

(b) in relation to any Ordinance promulgated by the Governor under Article 213 of Constitution or any Regulation made by the Governor under paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution as they apply in relation to Uttar Pradesh Acts made by the State Legislature :

Provided that clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of this Act shall apply to an Ordinance referred to in clause (b) as if for the reference in the said clause (b) of sub-section (1) to the day of the first publication of the assent to an Act in the official Gazette, there were substituted a reference to the day of the first publication of the Ordinance in that Gazette.

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से उसके अवैतनिक निदेशक श्री कैलाश नाथ गोयल द्वारा प्रकाशित एवं मयूर प्रिंटर्स, सी-119, निराला नगर, लखनऊ, फोन–73423, द्वारा मुद्रित ।